SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेखे एक दृष्टि में
2024-25

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2024-25

प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2024-25 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के सत्ताईसवां संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष है जो सरकारी कार्यकलापों, जैसा कि वित्तीय लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधि-दृष्टि प्रदान करता है।

वित्तीय लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त-विवरणियां हैं। विनियोग लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान-वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु वार्षिक वित्तीय तथा विनियोग लेखाओं को तैयार किया गया है।

हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी ।

सुशील

शिमला
दिनांकः 16 दिसम्बर 2025

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोण

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत अग्रसर हैं और लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतन्त्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समय-बद्ध रिपोर्टिंग हेतु जाने जाते हैं।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता हैं तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सदभाव-पूर्ण अभिशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियों, विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता को इस बात से आश्वस्त करते हैं कि लोक-निधियों को दक्षता-पूर्वक एवं अपेक्षित-उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

आन्तरिक मूल्य

हमारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्य-कलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आंकलन हेतु सन्दर्भिका प्रदान करते हैं।

- स्वतंत्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृटता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय I	**अधिदृष्टि**	
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखाओं की संरचना	2-3
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	3-6
1.4	निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग	6-9
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005..	10-12
अध्याय II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	भूमिका	13
2.2	राजस्व प्राप्तियां	13-15
2.3	कर राजस्व	15-17
2.4	कर वसूली में लागत	18
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षों का रूझान	18
2.6	सहायता-अनुदान	19
2.7	वस्तुओं एंव सेवा कर (जी.एस.टी.)	20
2.8	लोक ऋण	20-21
अध्याय III	**व्यय**	
3.1	भूमिका	22
3.2	राजस्व व्यय	22-24
3.3	पूंजीगत व्यय	24-26
अध्याय IV	**विनियोग लेखे**	
4.1	विनियोग लेखों का सारांश 2024-25	27
4.2	विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रूझान	27
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	28-29
4.4	बजट प्रावधान बिना पुनर्विनियोजन	29-31

पृष्ठ संख्या

अध्याय V	**परिसम्पतियां तथा दायित्व**	
5.1	परिसम्पतियां	32
5.2	ऋण तथा देनदारियाँ	33
5.3	प्रतिभूतियाँ	34
अध्याय VI	**अन्य मदें**	
6.1	आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	35
6.2	राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम	35
6.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	35-37
6.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	37-38
6.5	लेखों का मिलान	38
6.6	उचन्त शेषों एवं प्रेषण शेषों की स्थिति	38
6.7	लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति	38-39
6.8	राट्रीय पैंशन प्रणाली	39
6.9	रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा)	39
6.10	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	40
6.11	राज्य आपदा शमन कोष (एस.डी.एम.एफ.)	40
6.12	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि	40-41
6.13	राज्य सरकार द्वारा लगाये गए उपकर	41
6.14	वस्तु शीर्षों का गलत वर्गीकरण/गलत संचालन	41
6.15	आपत्ति पुस्तिका में उचंत लेखे के तहत दर्ज/हटाये गये लेनदेन	42
6.16	एकल नोडल एजेंसी बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि	42
6.17	डी.डी.ओ बैंक खातों में हस्तांतरित धन राशि	42

अध्याय I

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिमाचल प्रदेश विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रेषित किए गए खातों के आंकड़ों का मिलान, वर्गीकरण, संकलन करता है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे तैयार करता है। यह संकलन 19 जिला खजानों (18 जिला खजाना और 01 एस.एन.ए.-स्पर्श), 96 लोक निर्माण मण्डलों, (77 भवन एवं सड़कों, 08 राष्ट्रीय राजमार्ग, 06 यांत्रिक, 05 विद्युत), 72 जल शक्ति विभाग के मण्डलों द्वारा प्रेषित प्रारम्भिक लेखाओं तथा अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों एवं भारतीय रिजर्व बैंक की सम्मतियों पर आधारित होता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष प्रतिमाह मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सरकार के व्यय की गुणवत्ता एवं महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों की तिमाही टिप्पणी भी राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), वार्षिक रूप से, वित्त लेखे और विनियोग लेखे भी तैयार करता है जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखापरीक्षा और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण के बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखाओं की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखाओं को निम्नलिखित तीन भागों में रखा जाता है:

सरकारी लेखाओं की संरचना

भाग 1
समेकित निधि

कर तथा गैर-कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों, उठाऐ गये ऋण एवं दिये गये ऋणों की अदायगी (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा होते हैं।

ऋणों की अदायगी तथा लिए गए ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सरकार की समस्त खर्चों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।

भाग 2
आकस्मिकता निधि

विधानपालिका द्वारा प्राधिकरण के अधीन यह आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे अप्रत्याशित-व्यय के लिए खर्च किया जाता है। बाद में इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की इस निधि हेतु कायिक-राशि ₹ 5 करोड़ है।

भाग 3
लोक लेखा

समेकित निधि में जमा की जाने वाली राशि के अलावा अन्य प्राप्त सभी लोक धन राशियों को लोक-लेखा के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। ऐसी प्राप्तियों के सम्बन्ध में सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।

लोक लेखा के अन्तर्गत समाहित है: लघु बचतों तथा भविष्य-निधियों जैसी वापसियां, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम, उचन्त तथा विविध लेन देन (अन्तिम लेखा शीर्षो में बुकिंग हेतु लंबित समायोजन प्रविष्टियां) लेखा संस्थाओं के बीच सम्प्रेषण तथा रोकड़ शेष।

1.2.2 लेखाओं का संकलन

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख

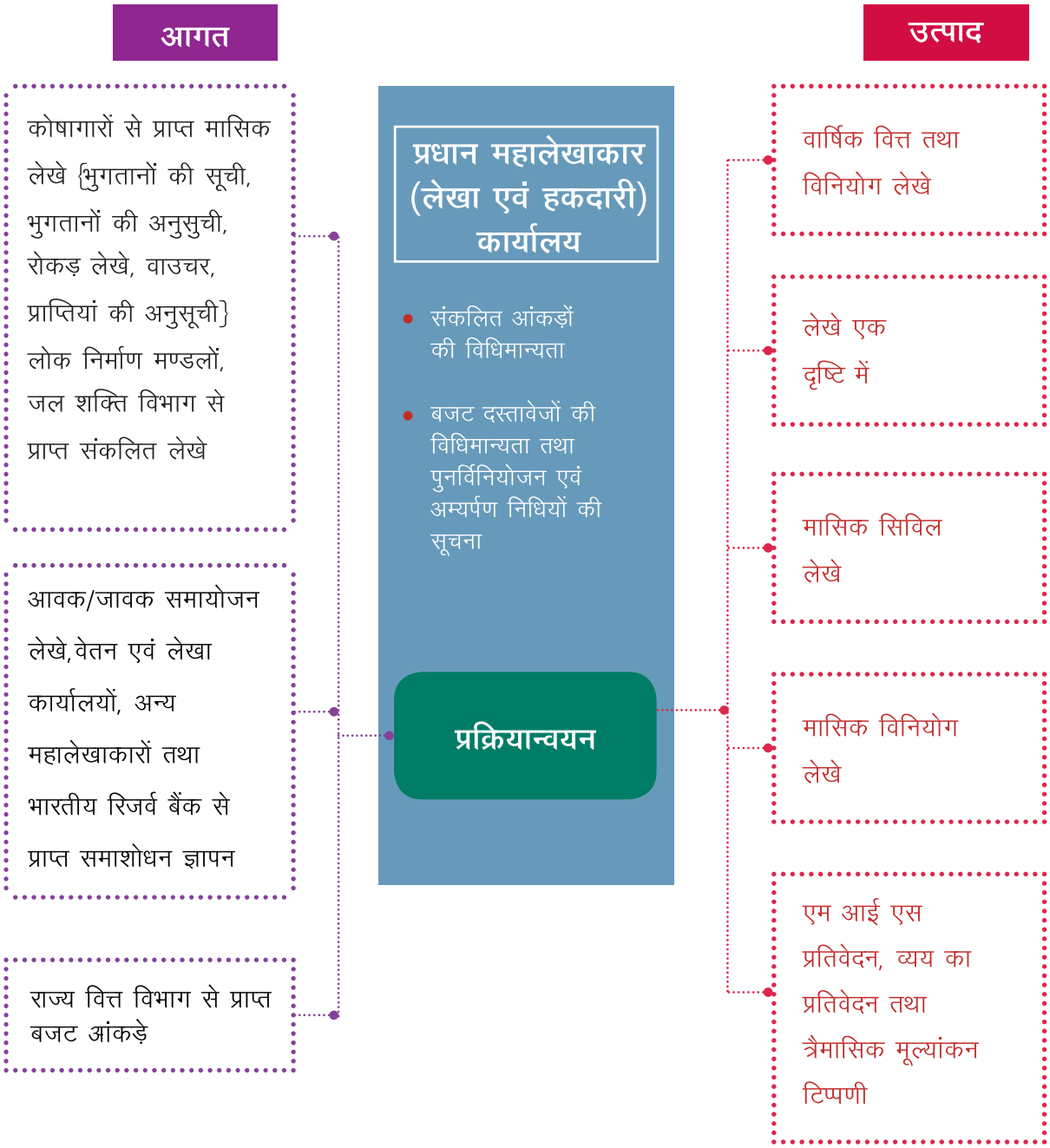

1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे में अभिलेखित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक-लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित की जाती हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनापूर्ण बनाने के लिए इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया हैं।

वित्त-लेखे के खण्ड-I में भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश विवरणियां एवं सार्थक लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'वित्त लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया जाता है। खण्ड-II के अन्तर्गत विस्तृत विवरणियां (भाग-I) तथा परिशिष्ट (भाग-II) समावेश किया जाता हैं।

वित्त लेखों में आंकड़े शुद्ध आधार पर दिखाए जाते है यानी सकल व्यय माइनस वसूली और सकल प्राप्तियां माइनस वापसी जबकि विनियोग लेखों में आंकड़े सकल आधार पर दिखाए जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा अनुमोदित व्यय के अतिरिक्त राज्य में विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए भारत सरकार राज्य क्रियान्वयन एजैंसियों/गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को पर्याप्त निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। ऐसे सीधे अन्तरणों (इस वर्ष ₹ 1,852 करोड़ की राशि) को राज्य सरकार के लेखों में दर्शाया नहीं गया है, अपितु वित्त लेखे के खण्ड-II में परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित किया गया हैं।

1.3.2 वर्ष 2024-25 में वित्तीय आकर्षण

निम्न तालिका बजट अनुमानों के अनुसार, बजटीय प्राप्तियों और संवितरणों को वर्ष 2024-25 के वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों और व्यय के साथ दर्शाती है। प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के लिए नियोजित और वास्तविक मूल्यों का भी वर्णन किया गया हैं।

तालिका 1.1 हिमाचल प्रदेश के वित्त का स्नैपशाट (वर्ष 2024-25)

(₹ करोड़ में)

क्र0 स0	विवरण	बजट प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2024-25	बजट प्राक्कलनों के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	जी.एस.डी.पी. के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता (#)
1.	कर राजस्व (संघीय भाग सहित)(क)	24,207	23,453	97	10
2.	गैर कर-राजस्व	4,231	3,698	87	2
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	15,266	13,721	90	6
4.	*राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)*	**43,704**	**40,872**	**94**	**18**
5.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली*	29	185	638	---
6.	अन्य प्राप्तियां*	---	---	---	---
7.	उधार तथा अन्य दायित्व(ख)	15,409	12,611	82	5
8.	*पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)*	**15,438**	**12,796**	**83**	**6**
9.	*कुल प्राप्तियां (4+8)*	**59,142**	**53,668**	**91**	**23**
10.	*राजस्व व्यय*	**50,190**	**47,677**	**95**	**21**
11.	ब्याज अदायगियों पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	6,265	6,261	100	3
12.	*पूंजीगत व्यय*	**8,767**	**5,957**	**68**	**3**
13.	*ऋणों तथा अग्रिम (ग)*	**186**	**34**	**18**	**---**
14.	*कुल व्यय (10+12+13)*	**59,143**	**53,668**	**91**	**23**
15.	*राजस्व घाटा (-) राजस्व आधिक्य (+) (4-10)*	**(-)6,486**	**(-)6,805**	**105**	**(-)3**
16.	*राजकोषीय घाटा(-)/ आधिक्य(+) (4+5+6-14)*	**(-)15,409**	**(-)12,611**	**82**	**(-)5**
17.	*प्रारम्भिक घाटा (16-11)*	**(-)9,144**	**(-)6,350**	**69**	**(-)3**

(क) इसमें राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश ₹ 10,681 करोड़ सम्मिलित है। राज्य सरकार की निजी कर प्राप्तियाँ ₹ 12,772 करोड़ थी जो कि जी.एस.डी.पी. का 6 *प्रतिशत* थी।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम रोकड़ शेष की शुद्ध राशि।

(ग) ऋण तथा अग्रिम (₹ 34 करोड़) राज्य योजना (₹ 34 करोड़) + केन्द्रीय योजना (---)

\# हिमाचल प्रदेश का जी.एस.डी.पी. (सकल राज्य घरेलु उत्पाद) विधान सभा में प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार 2024-25 के लिए ₹ 2,32,185 करोड़ है।

* प्रतिशतता नगण्य थी अतः --- दर्शाया गया है।

वर्ष 2024-25 की प्राप्तियां एवं संवितरण

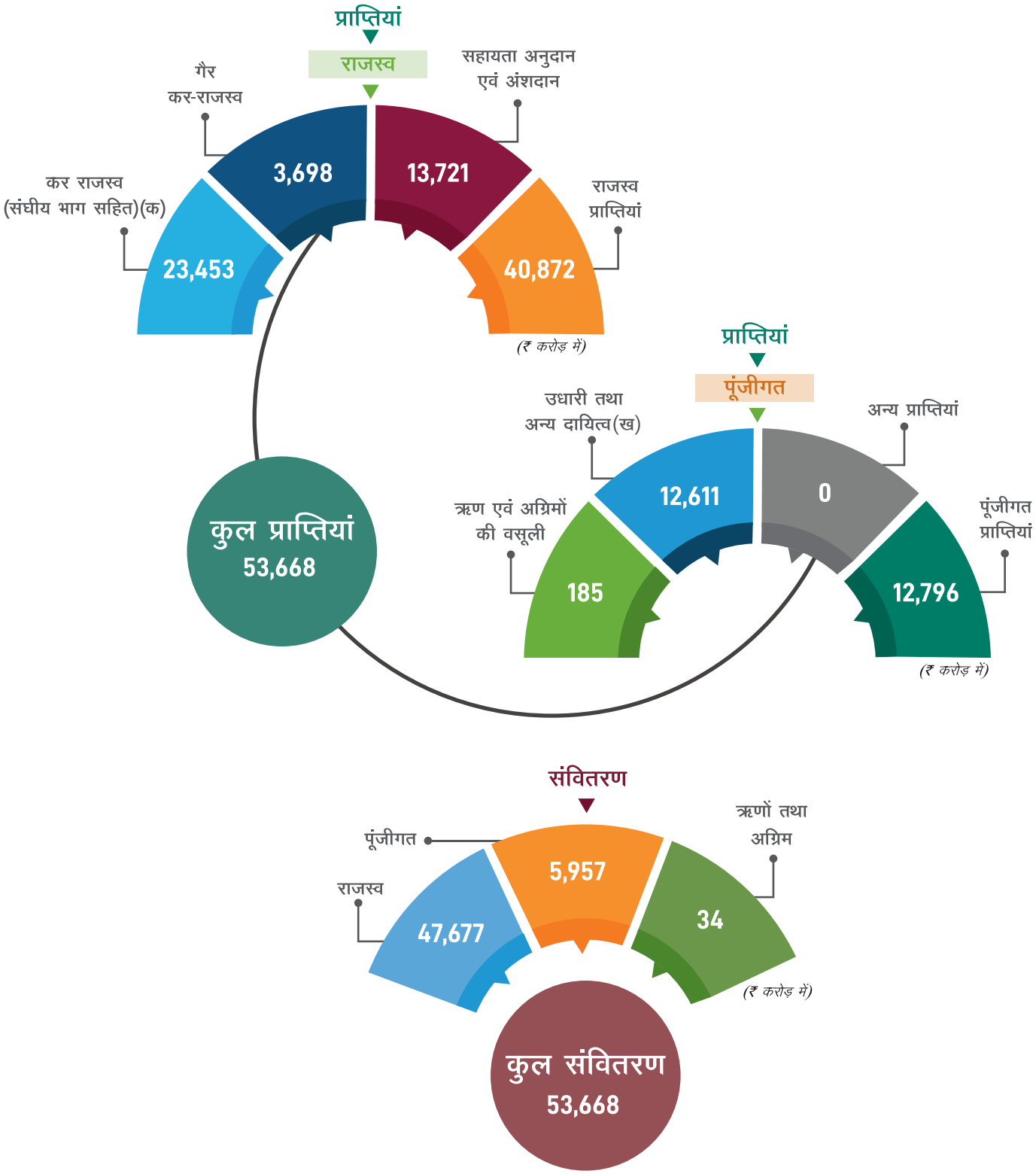

(क) इसमें राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश ₹ 10,681 करोड़ सम्मिलित है। राज्य सरकार की निजी कर प्राप्तियाँ ₹ 12,772 करोड़ थी जो कि जी.एस.डी.पी. का 6 *प्रतिशत* थी।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम रोकड़ शेष की शुद्ध राशि।

1.3.3 विनियोग लेखे

संविधान के अनुच्छेद-204 व 205 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता है। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना खर्च किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय "दत्तमत" होना आवश्यक हैं।

2024-25 के हिमाचल प्रदेश के बजट में 32 अनुदान थे और इन अनुदानों के तहत 18 प्रभारित विनियोजन थे। विनियोग लेखाओं का उद्देश्य यह दर्शाना है कि प्रति वर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत विनियोग का वास्तविक व्यय किस सीमा तक अनुपालन करता है। विनियोग लेखों में आंकड़े सकल आधार पर दिखाए गए हैं।

1.3.4 बजट तैयारी में दक्षता

वर्ष के अन्त में, हिमाचल प्रदेश सरकार का वास्तविक व्यय विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट ₹ 79,475 करोड़ के सापेक्ष ₹ 75,325 करोड़ था। ₹ 7,253 करोड़ की कुल बचत और ₹ 3,103 करोड़ का व्यय आधिक्य था अतएव ₹ 4,150 करोड़ की निवल बचत हुई।

₹ 545 करोड़ की अधिकता 07 अनुदानों से सबंधित (i) 01-विधानसभा, (ii) 04- सामान्य प्रशासन, (iii) 09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, (iv) 16- वन एवं वन्य जीवन, (v) 23- ऊर्जा (vi) 25- सड़क एवं जल परिवहन, (vii) 26- पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन से संबंधित है, जिन्हें नियमित करने की आवश्यकता है। जबकि प्रभारित विनियोगों में अतिरिक्त ₹ 2,558 करोड़ केवल चार अनुदानों में हुआः (i) 01-विधानसभा, (ii) 03-न्याय प्रशासन, (iii) 04-सामान्य प्रशासन, (iv) 29- वित्त। अतिरिक्त व्यय को विधायिका द्वारा नियमित करने की आवश्यकता हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 08 अनुदानों में बिना बजट प्रावधानों के ₹ 427 करोड़ का व्यय हुआः (i) 03-न्याय प्रशासन, (ii) 12-बागवानी, (iii) 14-पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन, (iv) 19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, (v) 23-विधुत विकास, (vi) 25-सड़क एवं जल परिवहन, (vii) 31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (vii) 32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम।

बिना बजट प्रावधान के व्यय वित्तीय नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है। इस प्रकार की चूक सार्वजनिक व्यय पर वित्तीय अनुशासन और विधायी नियंत्रण को कमजोर करती हैं।

1.4 निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते है। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 15,875 करोड़ (ऑवरड्राफ्ट सहित) की राशि अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त किया गया तथा उसी वर्ष ₹ 10,491 करोड़ का पुर्नभुगतान किया गया।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ऑवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेष में ₹ 0.55 करोड़ से कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के पश्चात् ऑवरड्राफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, 42 दिनों के लिए ₹ 4,607 करोड़ ऑवरड्राफ्ट राशि का लाभ उठाया गया और उसी वर्ष ₹ 3,731 करोड़ पुर्नभुगतान किया गया।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणिका

31 मार्च 2025 को राज्य का राजस्व घाटा ₹ 6,805 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 12,611 करोड़ था। राजकोषीय घाटा की पूर्ति निवल लोक ऋण (₹ 8,453 करोड़), लोक लेखा में बढ़ोतरी (₹ 4,160 करोड़) और आदि शेष तथा अन्त रोकड़ शेष में निवल बढ़ोतरी (₹ 2 करोड़) द्वारा की गई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 40,872 करोड़) का लगभग 84 *प्रतिशत* वेतनों

(₹ 15,335 करोड़), ब्याज-अदायगियों (₹ 6,261 करोड़), पैंशन (₹ 10,536 करोड़), उपदान (₹ 1,872 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 312 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्यय पर खर्च हुआ।

निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

स्त्रोत

01 अप्रैल 2024 को आरम्भिक रोकड़ शेष	42
राजस्व प्राप्तियां	40,872
पूंजीगत प्राप्तियां	---
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	185
लोक ऋण	26,622
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	5,167
आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	1,554
प्राप्त जमा	4,122
चुकता किए गए सिविल अग्रिम	...
उचन्त लेखे	20,819*
सम्प्रेषण	7,456
योग	1,06,839*

अनुप्रयोग

राजस्व व्यय	47,677
पूंजीगत व्यय	5,957
दिए गए ऋण	34
लोक ऋणों की अदायगी	18,169
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3,637
आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	954
जमा अदायगी	3,738
दिए गए सिविल अग्रिम	...
उचन्त लेखे	19,356**
सम्प्रेषण	7,272
31 मार्च 2025 को अन्तिम रोकड़ शेष	45
योग	1,06,839

* ₹ 19,344 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।
** ₹ 17,886 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

1.4.4 ₹ कहाँ से आया

वास्तविक प्राप्तियां

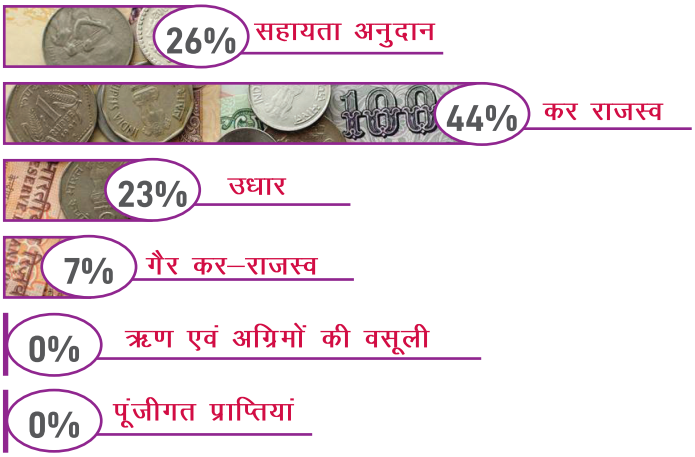

(ऋणों व अग्रिमों की वसूली केवल ₹ 185 करोड़ थी और पूंजीगत प्राप्तियां शून्य करोड़ थी जो कि नगण्य है अतः मूल्य शून्य दर्शाया गया है)

1.4.5 ₹ कहाँ गया

वास्तविक व्यय

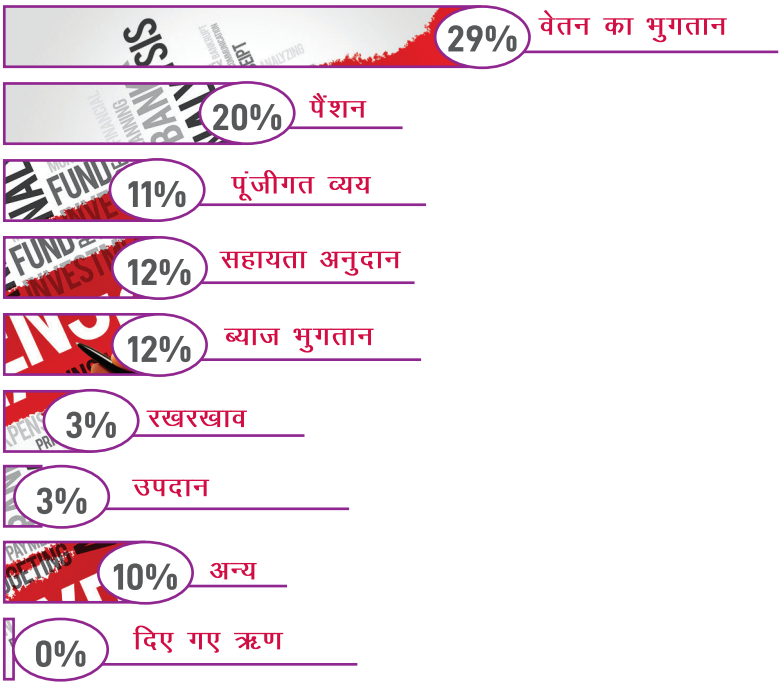

वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार का राजस्व घाटा वर्ष 2023-24 में ₹ 5,559 करोड़ की तुलना में ₹ 6,805 करोड़ था तथा राजकोषीय-घाटा वर्ष 2023-24 में ₹ 11,266 करोड़ की तुलना में ₹ 12,611 करोड़ था। ये घाटे सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 3 *प्रतिशत* तथा 5 *प्रतिशत* दर्शाते हैं। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 23 *प्रतिशत* रहा।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?

घाटा

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्तपोषित कैसे हो तथा निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता व सूझ-बूझ के महत्वपूर्ण संकेतक है।

राजस्व घाटा/ आधिक्य

राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिये।

राजकोषीय घाटा/ आधिक्य

सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। यह अन्तर इसलिए इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित किया गया। आदर्श स्वरूप में ऋण का उपयोग राजस्व व्यय की अपेक्षा पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इसी अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट अवधि में कुछ राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था।

वर्ष 2024-25 के दौरान अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्य तथा नियमों की उपलब्धियां निम्नलिखित थीः

क्रम संख्या	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	*सकल राज्य घरेलु उत्पाद* का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा (-)/ राजस्व वृद्वि (+)	(-) 6,805 (सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 3 *प्रतिशत**)	राजस्व वृद्वि	लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया
2	राजकोषीय घाटा	12,611 (सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 5 *प्रतिशत*)	सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 3.5 *प्रतिशत* या कम	लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया
3	बकाया प्रतिभूतियां	1,896 (पिछले वित्तीय वर्ष की राजस्व प्राप्ति का 5 *प्रतिशत*)	गत वित्तीय वर्ष की राजस्व प्राप्ति के 40 *प्रतिशत* से कम	लक्ष्य को प्राप्त किया गया
4	बकाया ऋण	96,422 (सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 42 *प्रतिशत*)	सकल राज्य घरेलु उत्पाद के 40.83 *प्रतिशत* से कम	लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया

* हिमाचल प्रदेश का जी.एस.डी.पी. (सकल राज्य घरेलु उत्पाद) विधान सभा में प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार 2024-25 के लिए ₹ 2,32,185 करोड़ है।

राज्य सरकार के आवश्यक उदघोषित विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जो कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विवरणों को दर्शाना अनिवार्य था।

वर्ष 2023-24 में राज्य की राजस्व कमी ₹ 5,559 करोड़ थी और वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 6,805 करोड़ की राजस्व कमी थी जो एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व आधिक्य होना चाहिए था। इसी प्रकार, राजकोषीय घाटा 2023-24 में ₹ 11,266 करोड़ से ₹ 1,345 करोड़ बढ़कर चालू वर्ष 2024-25 में ₹ 12,611 करोड़ हो गया और यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5 *प्रतिशत* था जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम में निर्धारित 3.5 *प्रतिशत* के लक्ष्य से अधिक था। यद्यपि, परादेय प्रतिभूतियों की राशि को पिछले वित्तीय वर्ष के कुल राजस्व प्राप्तियों के 40 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होने के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। 31 मार्च 2025 को परादेय प्रतिभूतियों की राशि ₹ 1,896 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष 2023-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 39,173 करोड़) के 5 *प्रतिशत* के बराबर थी।

1.5.1 राजस्व घाटा / आधिक्य के रूझान

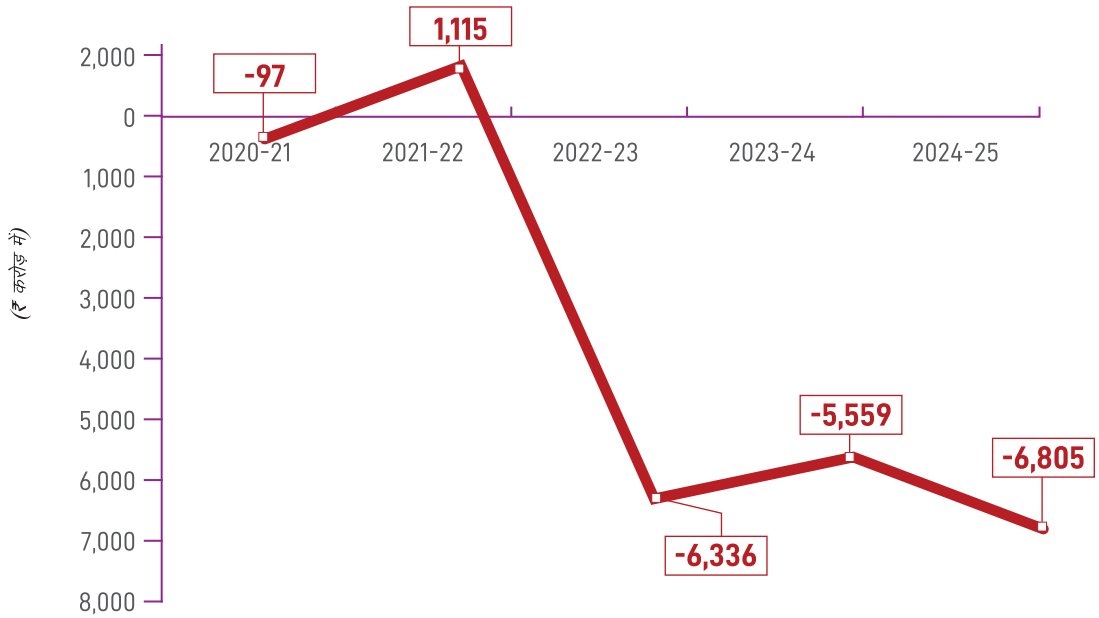

1.5.2 राजकोषीय घाटे का रूझान

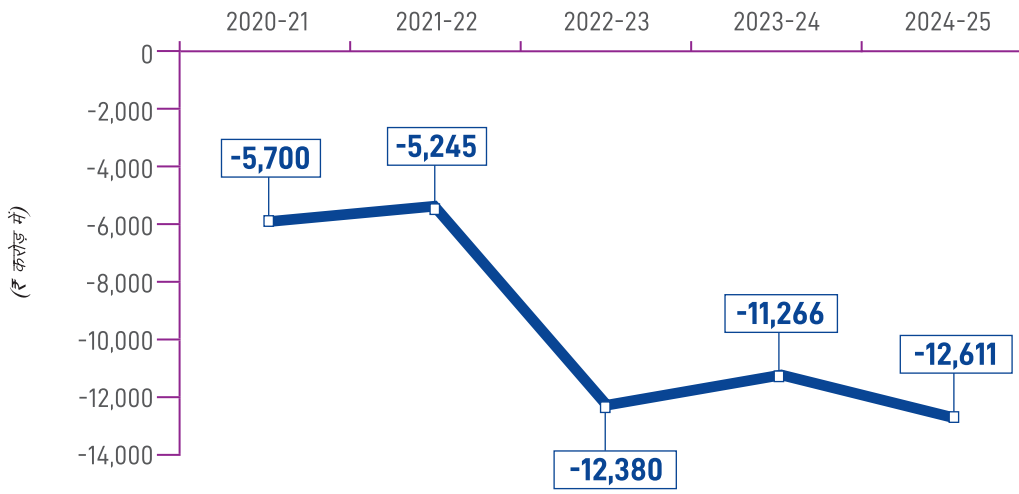

1.5.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अनुपात

निम्नलिखित तालिका पूंजीगत व्यय पर उधार ली गई निधि के खर्च की स्थिति को दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय	कालम 3 से कालम 2 का *प्रतिशत*
1	2	3	4
2020-21	16,749	5,309	32
2021-22	9,335	6,029	65
2022-23	22,372	6,029	27
2023-24	14,902	5,630	38
2024-25	26,622	5,957	22

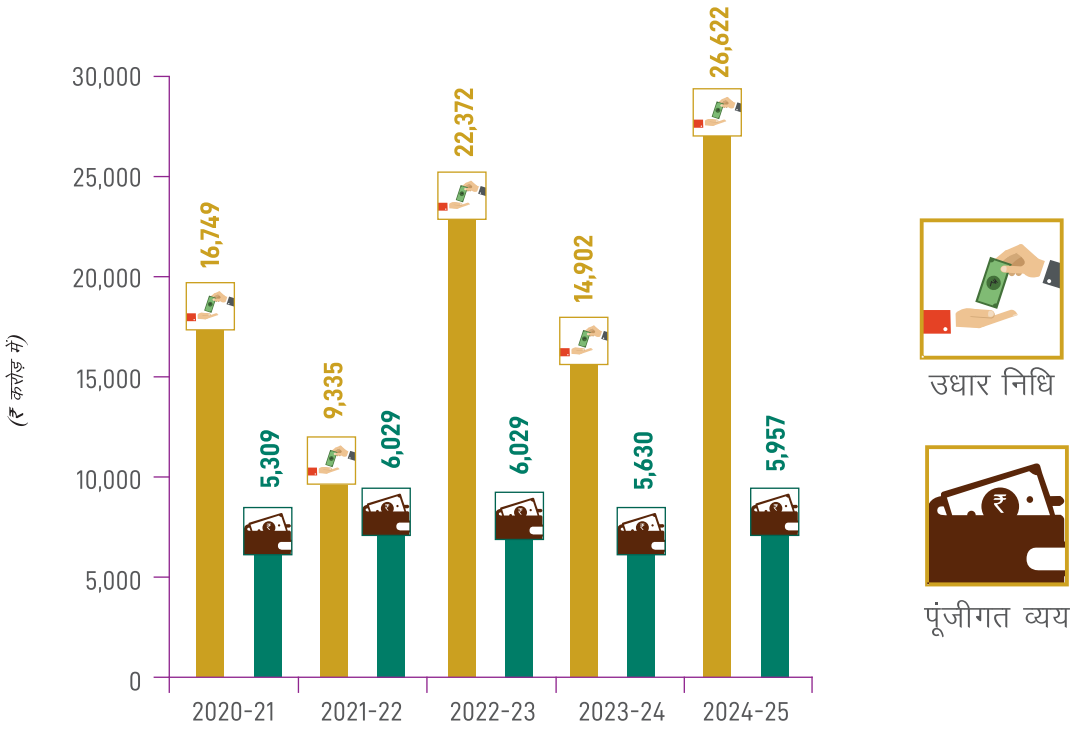

सामान्यतः सरकार राजकोषीय घाटे पर चलती है तथा आर्थिक व सामाजिक ढ़ांचे के निर्माण के लिए तथा पूंजीगत/परिसम्पतियों के निर्माण के लिए ऋण लेती है, अतएव ऋणों द्वारा निर्मित परिसम्पतियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर सके । इस प्रकार, पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु ऋणों के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों के इस्तेमाल अपेक्षित है।

हालांकि, राज्य सरकार द्वारा केवल ₹ 5,957 करोड़ पूंजीगत व्यय पर खर्च किया गया है जो चालू वर्ष के उधार निधि ₹ 26,662 करोड़ का केवल 22 *प्रतिशत* था। अतः यह प्रतीत होता है कि लोक ऋण में उधार का पिछले वर्षों के लोक ऋण पर मूल राशि तथा ब्याज की अदायगी पर उपयोग किया गया है।

अध्याय II

प्राप्तियां

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2024-25 में कुल प्राप्तियां ₹ 53,668 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं:- कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार द्वारा प्रदान सहायता अनुदान।

कर राजस्व

राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सम्मिलित होते हैं।

गैर कर-राजस्व

ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि सम्मिलित होते हैं।

सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रगत-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध ''वैदेशिक सहायता अनुदान'' भी शामिल है। बदले में, राज्य-सरकार पंचायती राज संस्थान, स्वायत्त निकायों आदि जैसे संस्थानों को सहायता अनुदान भी देती हैं।

राजस्व-प्राप्तियां

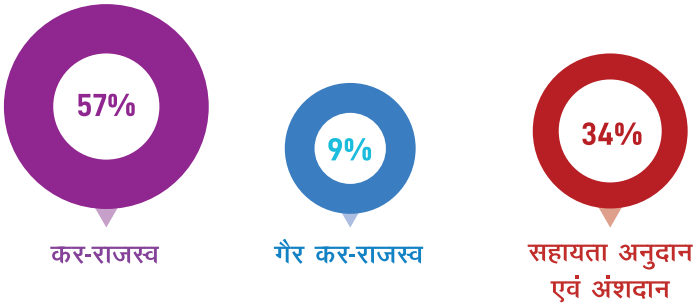

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकडे	राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता
क. कर-राजस्व *	23,453	57
माल व सेवाओं पर कर	8,936	22
आय व व्यय पर कर	6,896	17
सम्पत्ति पूंजीगत तथा अन्य लेनदेनों पर कर	507	1
माल व सेवाओं पर कर के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	7,114	17
ख. गैर कर-राजस्व	3,698	9
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	747	2
सामान्य सेवाएं	297	1
सामाजिक सेवाएं	180	...**
आर्थिक सेवाएं	2,474	6
ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान	13,721	34
कुल राजस्व प्राप्तियां	40,872	100

* इसमें भारत सरकार से प्राप्त राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश सम्मिलित है।

** यह आंकड़ा 0.44 *प्रतिशत* आता है जो नगण्य है, इसलिए इसे तालिका में नहीं दिखाया गया है।

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व राज्य द्वारा संग्रहित					
कर राजस्व (राज्य द्वारा संग्राहित)	8,083 (5)	9,715 (6)	10,595 (5)	11,835 (6)	12,772 (6)
गैर कर-राजस्व	2,188 (1)	2,612 (1)	2,876 (1)	3,021 (1)	3,698 (2)
केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व					
संघ के करो/शुल्को मे राज्य का हिस्सा	4,754 (3)	7,349 (4)	7,884 (4)	9,375 (5)	10,681 (5)
सहायता अनुदान	18,413 (12)	17,633 (10)	16,734 (9)	14,942 (7)	13,721 (6)
कुल राजस्व प्राप्तियां	33,438 (21)	37,309 (21)	38,089 (19)	39,173 (19)	40,872 (18)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,56,522	1,75,173	1,95,404	2,07,430	2,32,185

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की प्रतिशतता को दर्शाते हैं। विधान सभा में प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार, वर्तमान दरों पर 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलु उत्पाद के आंकड़े।

हालांकि वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष के मुकाबले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 12 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि 4 *प्रतिशत* ही थी। राजस्व प्राप्ति में अल्प वृद्धि सहायता अनुदान में कमी के कारण थी। पिछले वर्ष के मुकाबले कर राजस्व 11 *प्रतिशत* तक बढ़ा जबकि गैर कर-राजस्वों में 22 *प्रतिशत* तक की वृद्धि देखी गया लेकिन सहायता अनुदान में 8 *प्रतिशत* की कमी देखी गयी।

राजस्व प्राप्तियों के घटकों का रूझान

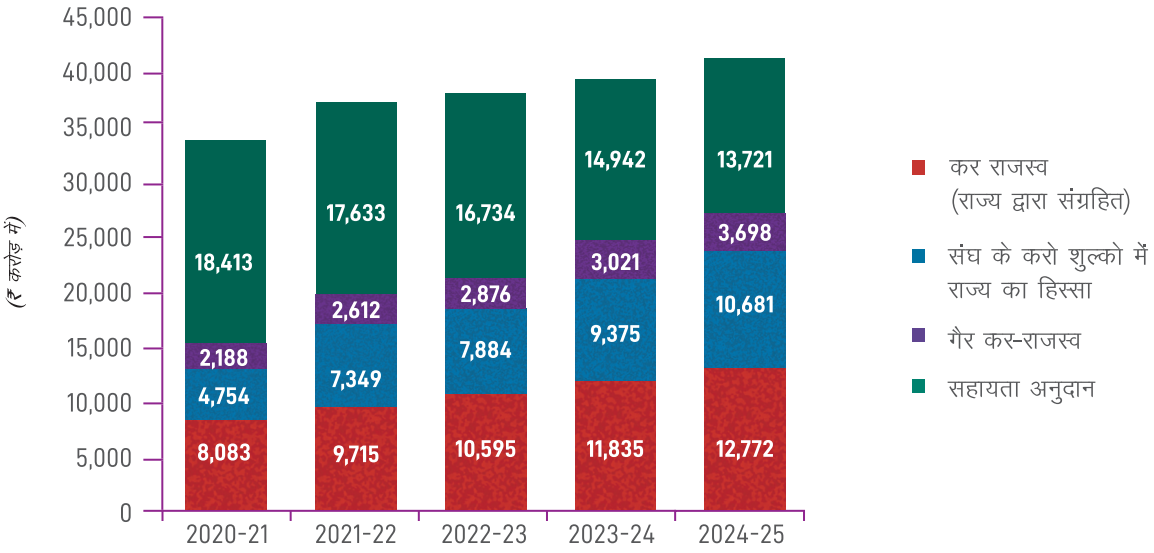

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र वार राजस्व प्राप्तियां					
कर	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
क. माल व सेवाओं पर कर	4,886 (3)	6,588 (4)	7,486 (4)	8,185 (4)	8,936 (4)
ख. आय व व्यय पर कर	2,894 (2)	4,372 (2)	5,225 (3)	6,064 (3)	6,896 (3)
ग. सम्पत्ति, पूंजी तथा अन्य लेनदेनों पर कर	260 ---	324 ---	407 ---	447 ---	507 ---
घ. माल व सेवाओं पर कर के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	4,797 (3)	5,780 (3)	5,361 (3)	6,514 (3)	7,114 (3)
कुल कर राजस्व	**12,837 (8)**	**17,064 (10)**	**18,479 (9)**	**21,210 (10)**	**23,453 (10)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**1,56,522**	**1,75,173**	**1,95,404**	**2,07,430**	**2,32,185**

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकडे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से एस.जी.एस.टी. (₹ 477 करोड़) और सी.जी.एस.टी. (₹ 274 करोड़) में राज्य अंश की अधिक प्राप्ति के साथ-साथ निगम कर (₹ 217 करोड़), निगम कर के अलावा अन्य आय (₹ 616 करोड़) और राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 6 करोड़) का अधिक संग्रहण हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों का रूझान

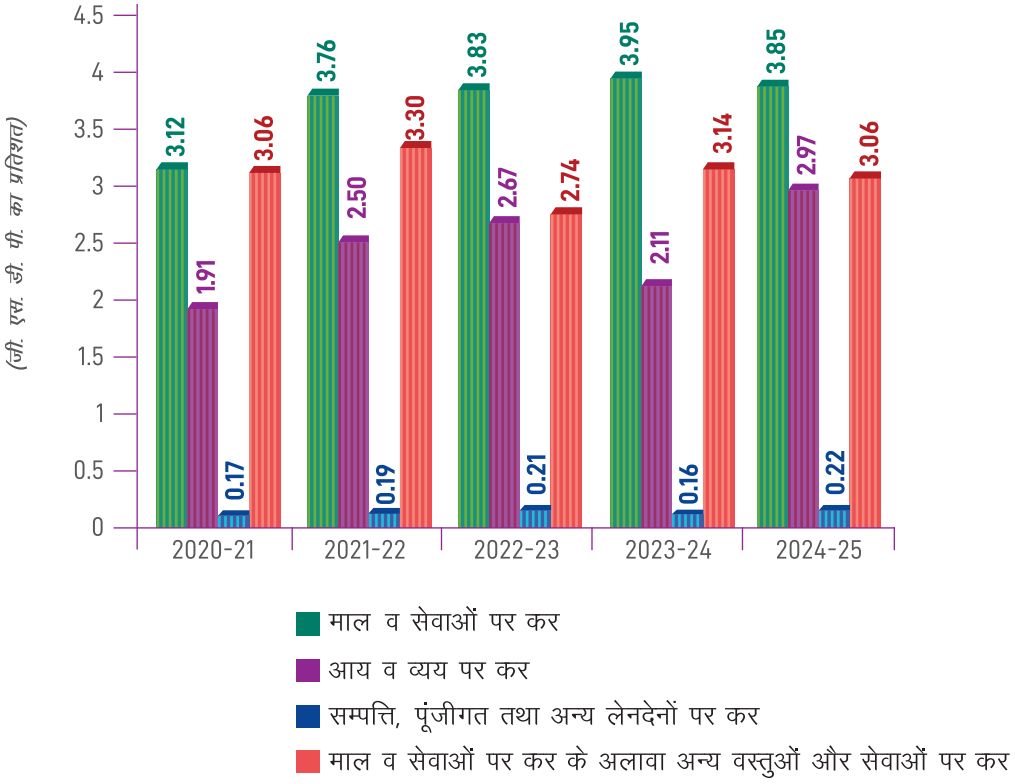

2.3.1 राज्य का निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश

राज्य सरकार को कर राजस्व दो स्त्रोतों से आता हैं :- राज्य का निजी कर संग्रहण तथा संघीय करों में राज्य का अंश।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों/शुल्क में राज्य का अंश	राज्य द्वारा निजी कर राजस्व	
			कर राजस्व	कुल कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का प्रतिशत
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020-21	12,837	4,754	8,083	63
2021-22	17,064	7,349	9,715	57
2022-23	18,479	7,884	10,595	57
2023-24	21,210	9,375	11,835	56
2024-25	23,453	10,681	12,772	54

कुल कर राजस्व में राज्य के अपने कर संग्रहण का अनुपात वर्ष 2020-21 के दौरान 63 *प्रतिशत* था जो 2021-22 और 2022-23 में घटकर 57 *प्रतिशत* हो गया, उसके बाद 2023-24 के दौरान घटकर 56 *प्रतिशत* तथा वर्ष 2024-25 में 54 *प्रतिशत* हो गया।

निम्न तालिका में पिछले पांच वर्षों के दौरान कर राजस्व के दो स्त्रोतों की आय को तुलनात्मक दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राज्य का निजी कर संग्रहण	8,083	9,715	10,595	11,835	12,772
संघीय करों में राज्य का अंश	4,754	7,349	7,884	9,375	10,681
कुल कर राजस्व	**12,837**	**17,064**	**18,479**	**21,210**	**23,453**

2.3.2 पिछले पाँच वर्ष के दौरान राज्य के निजी कर संग्रहण का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राज्य वस्तुओं एंव सेवाओं पर कर	3,467	4,482	5,259	5,340	5,817
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,630	1,592	1,370	1,754	1,842
राज्य आबकारी शुल्क	1,600	1,981	2,216	2,692	2,698
वाहनों पर कर	380	510	675	782	907
स्टांप और पंजीकरण शुल्क	253	319	399	440	491
विद्युत पर कर एवं शुल्क	402	394	252	369	495
भूमि राजस्व	7	5	8	7	16
माल एवं यात्रियों पर कर	84	99	69	71	76
अन्य कर	260	333	347	380	430
राज्य का कुल निजी कर	**8,083**	**9,715**	**10,595**	**11,835**	**12,772**

2.4 कर वसूली में लागत

(₹ करोड़ में)

कर	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व वसूली	1,630	1,592	1,370	1,754	1,842
संग्रहण पर व्यय	20	29	31	37	15
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	1	2	2	2	1
2. राज्य आबकारी शुल्क					
राजस्व वसूली	1,600	1,981	2,216	2,692	2,698
संग्रहण पर व्यय	8	8	21	8	95
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	0.50	0.42	1	0.3	4
3. वाहन, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर					
राजस्व वसूली	464	609	744	853	983
संग्रहण पर व्यय	48	63	97	85	86
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	10	10	13	10	9
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क					
राजस्व वसूली	253	318	399	440	491
संग्रहण पर व्यय	13	5	3	10	1
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	5	2	1	2	---*

**आंकड़ा नगण्य है, इसलिए इसे --- के रूप में दिखाया गया है।*

अन्य करों के मुकाबले वाहनों, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर तथा राज्य आबकारी शुल्क के संग्रहण पर व्यय अधिक था।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षों का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केन्द्रीय वस्तुओं एंव सेवाओं पर कर (सी.जी.एस.टी.)	1,420	2,105	2,227	2,845	3,120
निगम कर	1,429	2,202	2,645	2,814	3,030
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	1,465	2,170	2,580	3,250	3,865
सीमा शुल्क	257	511	310	329	544
संघीय आबकारी शुल्क	161	266	97	124	105
सेवा कर	19	88	12	2	---*
पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	3	7	13	11	17
संघीय करों/शुल्क में राज्य का अंश	**4,754**	**7,349**	**7,884**	**9,375**	**10,681**
कुल कर राजस्व	**12,837**	**17,064**	**18,479**	**21,210**	**23,453**
संघीय करों से कुल कर राजस्व की प्रतिशतता	37	43	43	44	46

**आंकड़ा नगण्य है, इसलिए इसे --- के रूप में दिखाया गया है।*

राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में केन्द्रीय करों का हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है जो 2020-21 में 37 *प्रतिशत* से बढ़कर 2021-22 व 2022-23 में 43 *प्रतिशत*, 2023-24 में 44 *प्रतिशत* एवं 2024-25 में 46 *प्रतिशत* तक पहुंच गया हैं।

2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों, वित्त- आयोग अनुदान तथा राज्य/विधायिका वाले केन्द्रशासित प्रदेश हेतु अन्य अन्तरण/अनुदान है। वर्ष 2024-25 के दौरान इन स्त्रोतों से प्राप्त सहायता-अनुदान निम्न दर्शाया गया है :-

सहायता अनुदान

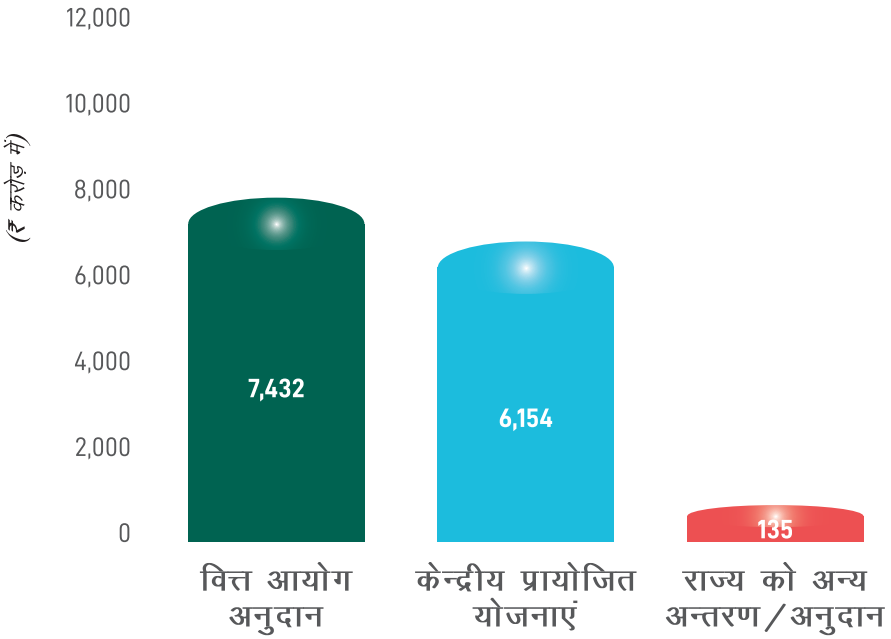

सहायता अनुदान का रूझान

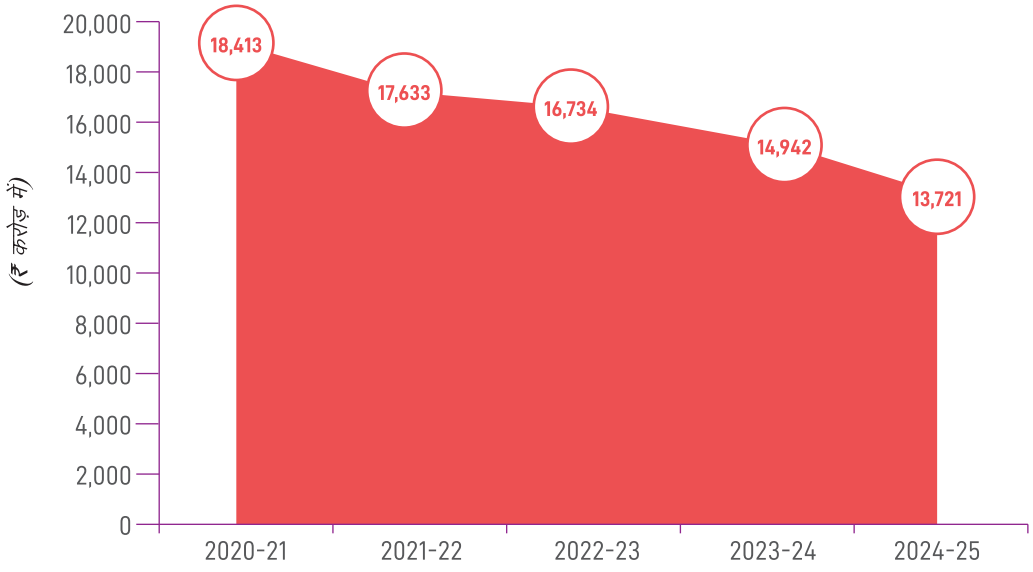

2024-25 के दौरान सहायता अनुदान में कमी मुख्य रूप से 'जी.एस.टी क्षातपूर्ति/शेयर में कमी ₹ 51 करोड़ (2023-24 में ₹ 88 करोड़)'', 'केन्द्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि से अनुदान ₹ 131 करोड़ (2023-24 में ₹ 136 करोड़)'', और 'पश्च हस्तान्तरण राजस्व घाटा अनुदान' में ₹ 18,00 करोड़ की कमी (2023-24 में ₹ 8,058 करोड़ की तुलना में 2024-25 में ₹ 6,258 करोड़) के कारण थी।

2.7 वस्तुओं एंव सेवा कर (जी.एस.टी.)

वस्तु एंव सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। जी.एस.टी.(राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा देगी।

2024-25 के दौरान राज्य सरकार को मुख्य शीर्ष 0006 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत ₹ 5,817 करोड़ प्राप्त हुए। इसके अलावा, राज्य को केंद्रीय जी.एस.टी. के तहत राज्य को सौंपी गई शुद्ध आय के हिस्से के रूप में ₹ 3,120 करोड़ प्राप्त हुए। जी.एस.टी. के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 8,936 करोड़ थी। राज्य को 2024-25 के दौरान जी.एस.टी. के कार्यान्यवन से उत्पन्न राजस्व हानि के कारण ₹ 51 करोड़ का मुआवजा मिला।

2.8 लोक ऋण

निम्नलिखित तालिका में पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण के घटकों का रूझान प्रदर्शित है।

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आन्तरिक ऋण	42,918	44,376	55,975	61,439	67,448
केन्द्रीय ऋण	3,262	6,751	7,388	8,930	8,106
जोड़	46,180	51,127	63,363	70,369	75,554

वर्ष 2024-25 में, ₹ 7,359 करोड़ के 13 ऋण 7 *प्रतिशत* से 8 *प्रतिशत* की ब्याज की दर से खुला-बाजार से लिए गए थे जो वर्ष 2033-44 के बीच में प्रतिदेय है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 850 करोड़ ऋण लिए। भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 15,875 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लिया गया। इस प्रकार वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार द्वारा लिया गया कुल आन्तरिक ऋण ₹ 24,100 करोड़ था। सरकार ने ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹ 2,521 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया है।

उधार निधि से पूंजीगत व्यय की तुलना

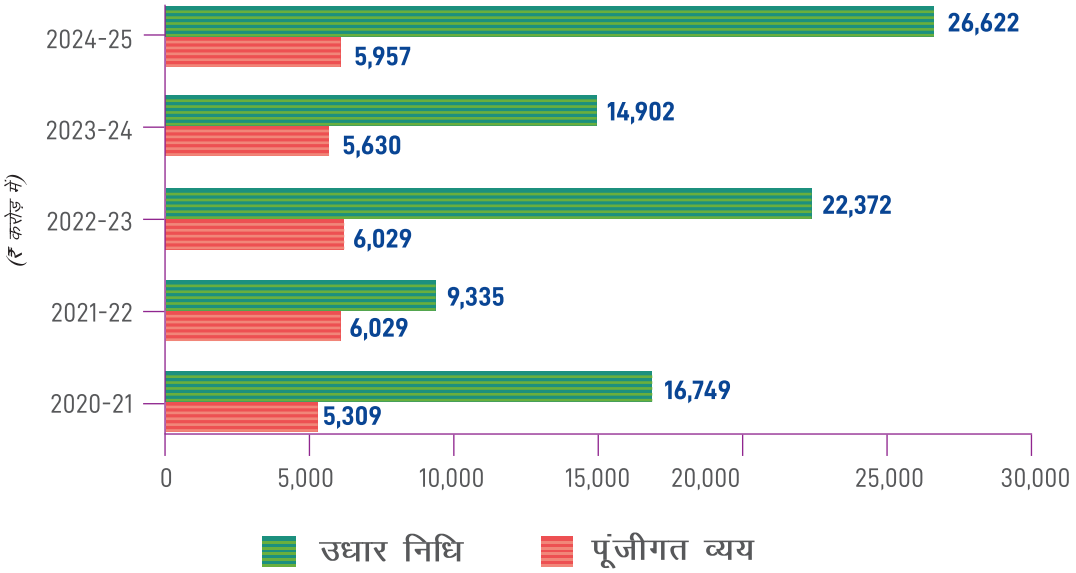

अध्याय III

व्यय

3.1 भूमिका

2024-25 के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय ₹ 53,668 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,200 करोड़ (6.34 *प्रतिशत)* की वृद्धि दर्शाता है। 2024-25 के दौरान राजस्व व्यय ₹ 47,677 करोड़ था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,945 करोड़ (6.58 *प्रतिशत)* की वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय जो 2024-25 के दौरान ₹ 5,957 करोड़ था, उसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 327 करोड़ (5.80 *प्रतिशत*) की कमी देखी गई।

3.2 राजस्व व्यय

विगत पाँच वर्षों में (2020-21 से 2024-25) बजट प्राक्कलनों के सापेक्ष राजस्व व्यय में कमी को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बजट प्राक्कलन	36,011	37,034	45,115	45,926	50,190
वास्तविक आंकड़े	33,535	36,195	44,425	44,732	47,677
अन्तर	(-)2,476	(-)839	(-)690	(-)1,194	(-)2,513
बजट प्राक्कलनों से वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	(-)7	(-)2	(-)2	(-)3	(-)5

2024-25 के दौरान कुल राजस्व व्यय का लगभग 68 *प्रतिशत* प्रतिबद्ध व्ययों जैसे कि वेतन व मजदूरी (₹ 15,647 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 6,261 करोड़) तथा पैंशन (₹ 10,536 करोड़) पर किया गया। ये राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देनदारियां हैं।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल राजस्व व्यय	33,535	36,195	44,425	44,732	47,677
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय#	23,705	24,419	31,937	30,214	32,444
कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	*71*	*67*	*72*	*68*	*68*
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	9,830	11,776	12,488	14,518	15,233

 # प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन व मजदूरी, ब्याज भुगतान, उपदान तथा पैंशन सम्मिलित हैं।

यह उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय, जो विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध है, वर्ष 2020-21 में ₹ 9,830 करोड़ से 55 *प्रतिशत* बढ़कर 2024-25 में ₹ 15,233 करोड़ हो गया है। इसी अवधि के दौरान, कुल राजस्व व्यय 2020-21 में ₹ 33,535 करोड़ से 42 *प्रतिशत* बढ़कर 2024-25 में ₹ 47,677 करोड़ हो गया। इसी अवधि में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में भी 37 *प्रतिशत* का आवर्धन हुआ।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्र वार विवरण (2024-25)

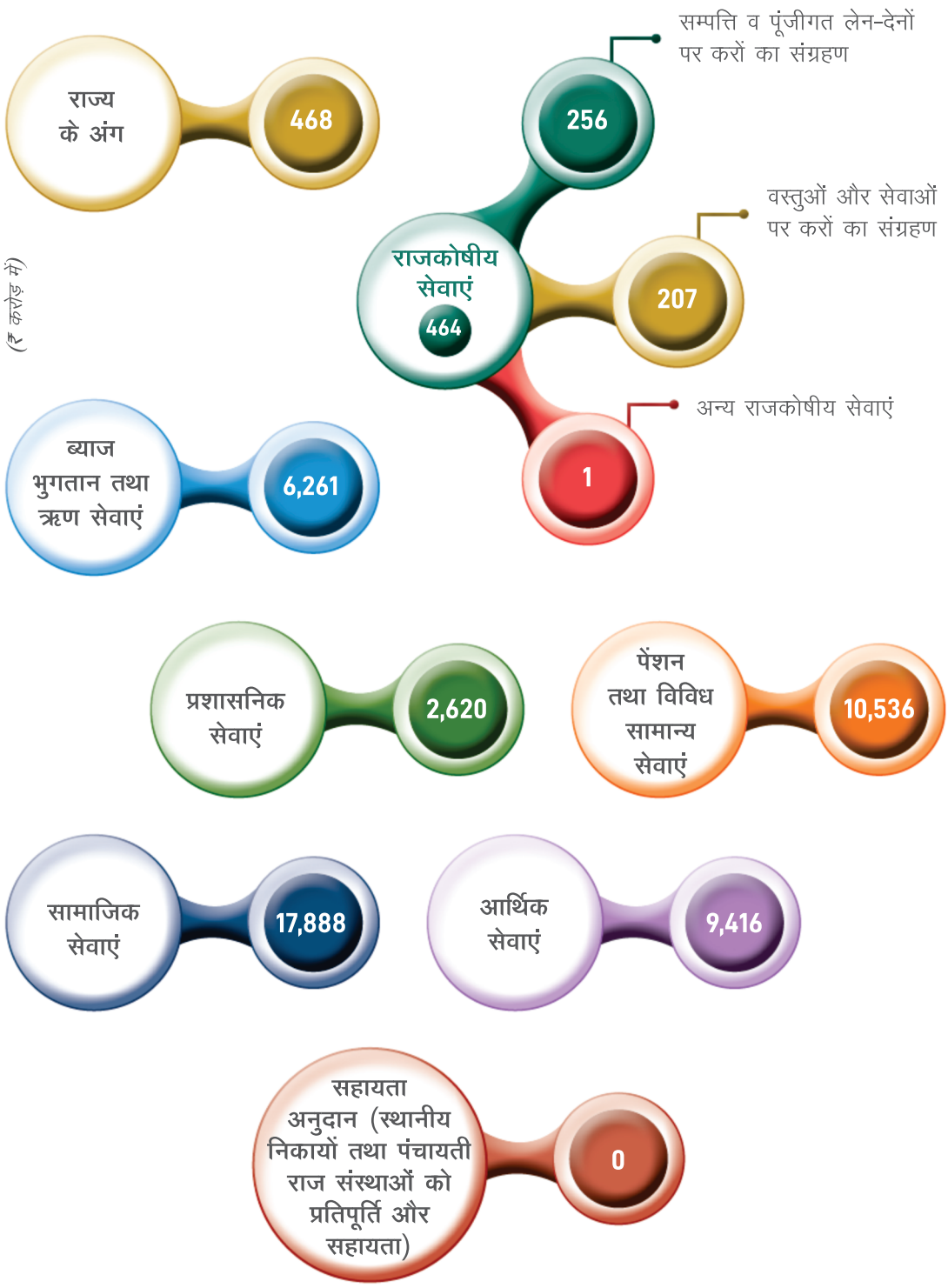

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक 2020-21 से 2024-25

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	13,454	13,900	17,763	19,147	20,372
सामाजिक सेवाएं	12,844	13,882	17,409	17,323	17,888
आर्थिक सेवाएं	7,228	8,405	9,247	8,262	9,416
सहायता अनुदान एवं अंशदान	9	8	6	Nil	Nil

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों का रूझान

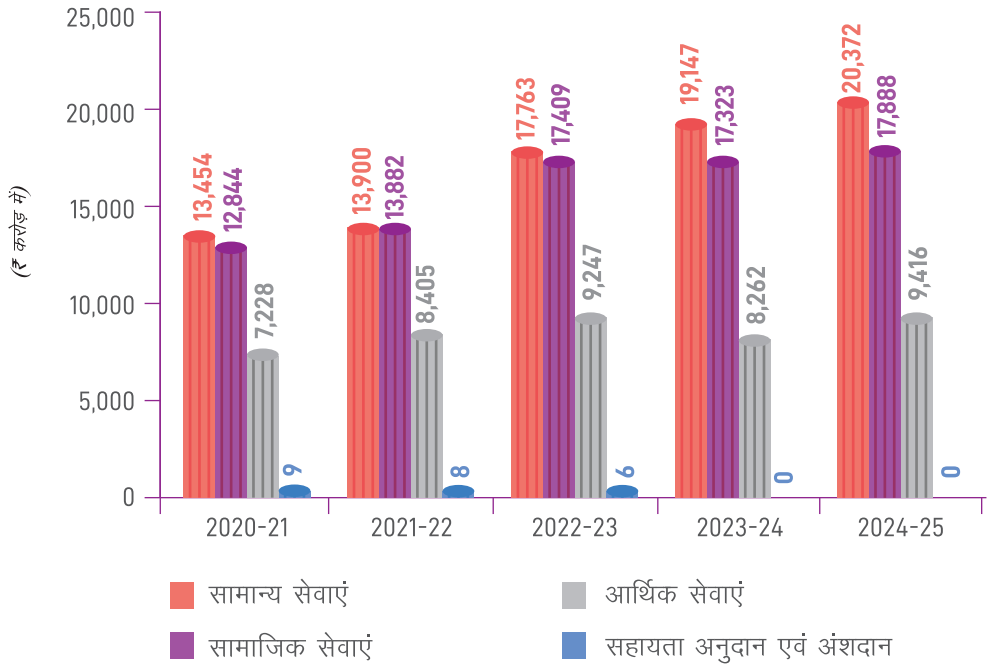

3.3 पूंजीगत व्यय

विकास की प्रकिया को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024-25 के दौरान, पूंजीगत व्यय ₹ 5,957 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 3 *प्रतिशत*) रहा, जो बजट प्राक्कलनों से ₹ 2,810 करोड़ कम था। इसे नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	बजट प्राक्कलन	5,692	7,099	6,311	6,781	8,767
2	वास्तविक व्यय (#)	5,309	6,029	6,029	5,630	5,957
3	बजट प्राक्कलनों से वास्तविक व्यय की *प्रतिशतता*	93	85	96	83	68
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक बढ़ोतरी की *प्रतिशतता*	3	14	...	(-)7	6
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,56,522	1,75,173	1,95,404	2,07,430	2,32,185
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक बढ़ोतरी (+)/कमी(-) की *प्रतिशतता*	(-)5	(+)12	(+)12	(+)6	(+)12

(#) पूंजीगत परिव्यय में ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2024-25 के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 285 करोड़ का व्यय किया गया (₹ 17 करोड़ मध्यम सिंचाई तथा लघु सिंचाई पर ₹ 268 करोड़)। इसके अतिरिक्त, सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर ₹ 1,769 करोड़ खर्च किया गया। सरकार ने सांविधिक निगमों/बोर्डों में ₹ 508 करोड़ और सरकारी तथा अन्य कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹ 209 करोड़ का निवेश भी किया। वर्ष के दौरान, सहकारी समितियों के द्वारा ₹ 1 करोड़ की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया।

3.3.2 विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार विवरण

विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	170 (3)	390 (6)	297 (5)	357 (6)	328 (6)
सामाजिक सेवाएं	1,736 (31)	1,925 (32)	1,962 (33)	1,744 (31)	1,919 (32)
आर्थिक सेवाएं	3,403 (60)	3,714 (62)	3,770 (63)	3,529 (63)	3,710 (62)
ऋण और अग्रिम	320 (6)	378 (6)	111 (2)	107 (2)	34 (1)

टिप्पणी : कोष्ठकों में आंकडे कुल पूंजीगत व्यय पर प्रतिशत का प्रतिनिधित्व दर्शाते हैं।

पूंजीगत व्यय के क्षेत्रवार विवरण का रूझान

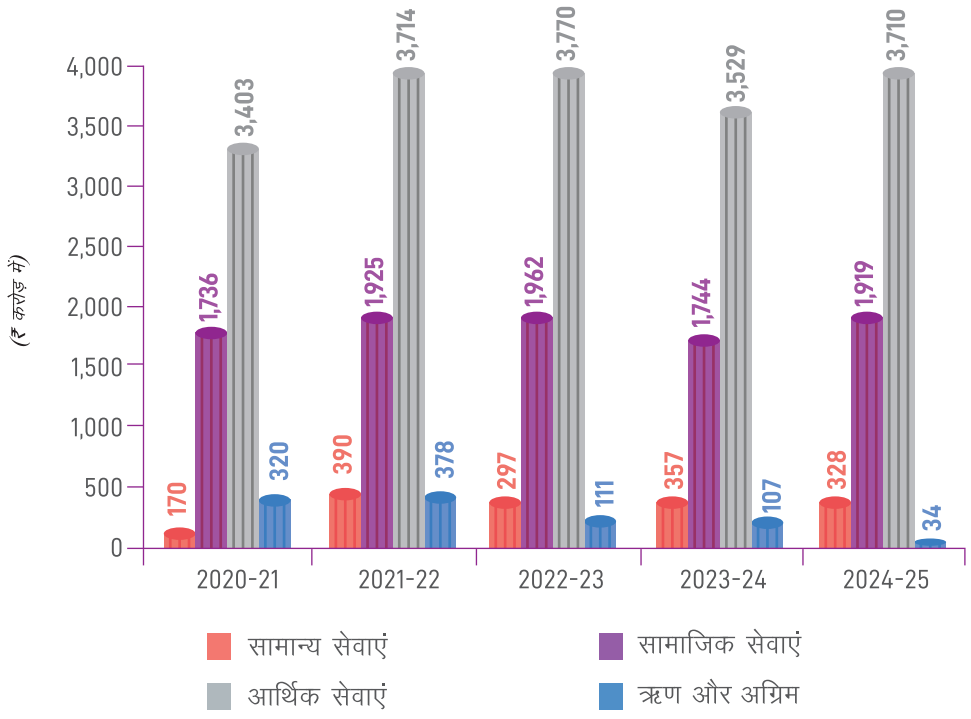

3.3.3 पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

विगत पांच वर्षो में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	खण्ड		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
(क)	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	170	390	297	357	328
		राजस्व	13,454	13,900	17,763	19,146	20,372
(ख)	सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	1,736	1,925	1,962	1,744	1,919
		राजस्व	12,844	13,882	17,409	17,323	17,888
(ग)	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	3,403	3,714	3,769	3,529	3,710
		राजस्व	7,228	8,405	9,247	8,262	9,416
(घ)	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूंजीगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		राजस्व	9	8	6	शून्य	शून्य

अध्याय IV

विनियोग लेखे

4.1 विनियोग लेखों का सारांश 2024-25

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व, पूंजी, लोक ऋण और ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बजट आवंटन तथा उसके सम्मुख वास्तविक व्यय की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन के द्वारा समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय (निवल)	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	**राजस्व**						
	दत्तमत	40,328	3,662	1,413	42,577	41,084	(-)1,493
	प्रभारित	*6,339*	*263*	*1*	*6,601*	*6,593*	*(-)8*
2.	**पूंजीगत**						
	दत्तमत	6,270	2,477	160	8,587	5,933	(-)2,654
	प्रभारित	---	*23*	---	*23*	*24*	(+)1
3.	**लोक ऋण**						
	प्रभारित	*5,479*	*10,137*	---	*15,616*	*18,169*	*(+)2,553*
4.	**ऋण एवं अग्रिम**						
	दत्तमत	28	160	3	185	34	(-)151
	प्रभारित	---	---	---	---	---	---
	योग						
	दत्तमत	**46,626**	**6,299**	**1,576**	**51,349**	**47,051**	**(-)4,298**
	प्रभारित	***11,818***	***10,423***	***1***	***22,240***	***24,786***	***(+)2,546***

4.2 विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रुझान

निम्न तालिका पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व, पूंजी, लोक ऋण और ऋण एवं अग्रिम में बचत/आधिक्य की प्रवृति को प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

बचत (-)आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	कुल
2020-21	(-)2,528	(-)386	(-)256	(-)41	**(-)3,210**
2021-22	(-)7	(-)159	---	(+)64	**(-)102**
2022-23	(-) 17	(-)175	(-)1,213	(+)15	**(-)1,390**
2023-24	(-)449	(-)835	(-)961	(+)50	**(-)2,195**
2024-25	(-)1,501	(-)2,653	(+)2,553	(-)151	**(-)1,752**

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत, योजनाओं/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमे क्रियान्वयन को दर्शाती है। 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान बचत की समग्र अनुदान-वार स्थिति इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	विधान सभा	6	4	1	2	1
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद	4	2	1	1	1
3	न्याय प्रशासन	55	29	48	15	5
4	सामान्य प्रशासन	45	32	3	19	17
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	116	---	275	122	158
6	आबकारी एवं कराधान	2	12	13	24	79
7	पुलिस और अन्य संगठन	336	245	24	64	117
8	शिक्षा	1,362	1,096	122	801	690
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	498	244	208	187	153
10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन	906	1,240	616	1,032	1,388
11	कृषि	89	49	57	100	99
12	उद्यान	18	13	1	15	23
13	सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	162	154	76	58	1,092
14	पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य	80	36	1	13	45
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	240	71	188	361	447
16	वन और वन्य जीवन	174	136	91	165	4
17	निर्वाचन	6	---	---	1	3
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	49	19	---	16	56
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	70	50	127	145	124
20	ग्रामीण विकास	163	134	120	486	295
21	सहकारिता	3	2	---	---	1
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	30	4	---	61	56
23	विद्युत विकास	7	---	4	47	78
24	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	3	2	---	4	6
25	सड़क एवं जल परिवहन	6	6	---	39	17
26	पर्यटन एवं नागर विमानन	947	545	498	224	9
27	श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	123	26	20	23	37
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	101	105	66	---	33
29	वित्त	1,925	2,037	1,496	973	308
30	विभिन्न सामान्य सेवाऐ	10	6	---	15	8
31	जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	491	534	360	518	767
32	अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	414	532	516	692	1,136

शिक्षा, लोक निर्माण , सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अनुदानों के अंतर्गत निरंतर व व्यापक बचत देखा गया। इससे संकेत मिलता है कि इन अनुदानों के अधीन विधायिका द्वारा अनुमोदित कुछ योजनाओं को क्रियान्वयन के दौरान कम-प्राथमिकता दिया गया है। यह बजट-प्राक्कलन में अनुमान से अधिक या अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के अन्दर रखने हेतु सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है।

2024-25 के दौरान, अनुपूरक अनुदान की कुल राशि ₹ 17,053 करोड़ (₹ 75,325 करोड़ कुल व्यय का 22.64 *प्रतिशत*) कुछ मामलों में अपर्याप्त सिद्ध हुई।

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
01	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन 700- अन्य आवास 16-विधान सभा के आवासीय भवन	पूंजीगत	0	27	40
04	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051- निर्माण 05- नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण	पूंजीगत	8	50	95
09	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105-एलोपैथी 06- हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण	पूंजीगत	2	162	173
23	2801-विद्युत 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 07-रेणुका जी बांध विस्थापितों को मुआवजा	राजस्व	0	158	197
29	6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 110-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय भारतीय अग्रिम 03-भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवरड्राफ्ट तथा कमियाँ	ऋण शीर्ष	500	2,255	3,731

4.4 बजट प्रावधान के बिना पुनर्विनियोजन

मार्च 2025 को तीन अनुदानों, अनुदान संख्या 19, 20 और 30 में पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 13.62 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। निधियों को वास्तविक/पूरक बजट अनुमानों के माध्यम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। बिना उचित बजटीय प्रावधानों के पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश के बजट नियमावली के पैरा 12.50 में शामिल प्रावधानों का उल्लंघन था।

नीचे उल्लिखित मामलों में विधायिका को दरकिनार कर निधियां मूल/अनुपूरक बजट के स्थान पर पुनर्विनियोजन के माध्यम से सीधे आवंटित की गयी थीं।

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय
19	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 02-सामाजिक कल्याण 103-महिला कल्याण 28-वन स्टॉप सेंटर	राजस्व	0	0	2	0.14
20	2501-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम 02- सूखा प्रवण क्षेत्र विकास के विशेष कार्यक्रम 101-लघु सिंचाई 01-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	राजस्व	0	0	11	11
30	4220-सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य- 101-भवन 02- प्रेस क्लब भवन का निर्माण	पूंजीगत	0	0	0.09	0

कुछ उदाहरण जहां संपूर्ण बजट प्रावधान या तो वापस कर दिए गए थे या फिर से पुनर्विनियोजन किए गए थे, वे इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	अभ्यर्पण	वास्तविक व्यय
06	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन 107-स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर 02-पंचायतों/ग्रामीण निकायों को अनुदान	राजस्व	6	0	6	0
19	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम 800-अन्य व्यय 06-वित्त विभाग के निधि आरक्षित पेंशनधारक	राजस्व	60	0	60	0
31	2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी 02-पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य प्राणी 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 11-चिड़ियाघरों की स्थापना	राजस्व	5	0	5	0
31	2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 08-जनजातीय उप योजनाओं हेतू विशेष केन्द्रीय सहायता	राजस्व	10	0	10	0
31	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 08- विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी) के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय	पूंजीगत	20	0	20	0
31	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 10- विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के अन्तर्गत मोड़ तथा प्रवाह सिंचाई योजना	पूंजीगत	32	0	32	0

अध्याय V

परिसम्पतियां तथा दायित्व

5.1 परिसम्पतियां

सरकारी लेखाओं का वर्तमान प्रारूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के स्पष्ट मूल्यांकन को प्रस्तुत नहीं करते हैं, सिवाय उनके अधिग्रहण/ खरीद के वर्ष के। वे चालू-वर्ष के देनदारियों के भावी पीढ़ी पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव को भी नहीं दर्शाते हैं।

गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश वर्ष 2024-25 के अन्त में ₹ 4,247 करोड़ था। जबकि वर्ष के दौरान कुल निवेश पर लाभाँश ₹ 191 करोड़ (4 *प्रतिशत*) प्राप्त हुआ। वर्ष 2024-25 के दौरान निवेश में ₹ 715 करोड़ की वृद्धि हुई और लाभाँश आय में कोई परिर्वतन नहीं हुआ।

भारतीय रिजर्व बैंक का नकदी शेष 01 अप्रैल 2024 को ₹ 42 करोड़ (नामे) था, जो मार्च 2024 के अन्त तक बढ़कर ₹ 45 करोड़ (नामे) हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 में सरकार ने 76 तात्कालिक अवसरों पर ₹ 17,886 करोड़ की राशि को 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया था तथा ₹ 19,344 करोड़ 116 अवसरों पर 14 दिनों के खजाना बिलों पर पुनः बट्टा चुकाया। वर्ष 2024-25 के दौरान निवेश की स्थिति को तालिका में दर्शाया गया है।

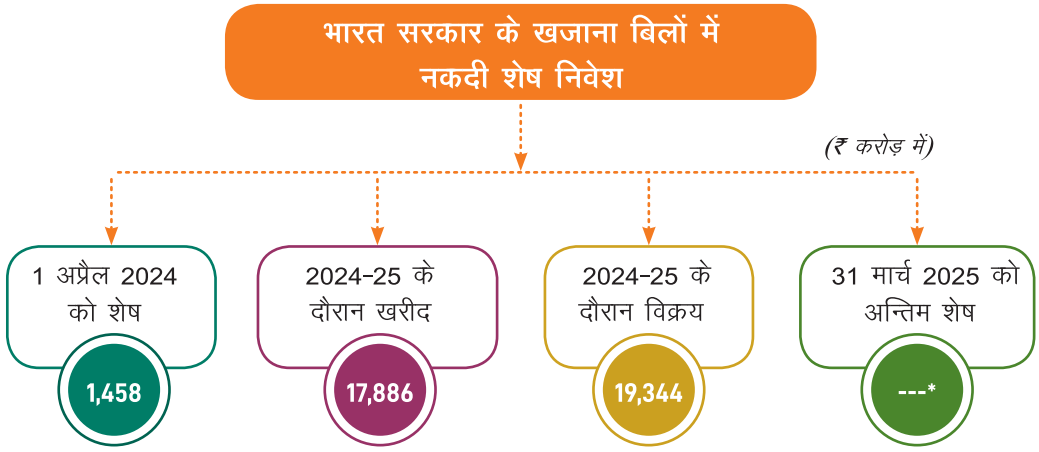

* समापन शेष शून्य दिखाया गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 31-03-2025 को कुल निवेशित राशि का पुनः बट्टा चुकाया गया ।

5.2 ऋण तथा देनदारियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकार को समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधारी का अधिकार प्रदान किया गया है बशर्ते भारत सरकार समय-समय पर यह निर्धारित करती है, कि राज्य सरकार बाजार से किस सीमा तक उधारी कर सकती है। वर्ष 2024-25 के लिए सीमा ₹ 7,359 करोड़ थी। इसके सापेक्ष, राज्य सरकार ने सम्पूर्ण धनराशि उठायी।

लोक ऋणों तथा राज्य सरकार के समस्त दायित्वों का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की *प्रतिशतता*	अन्य दायित्व*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*	कुल दायित्व	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की *प्रतिशतता*
2020-21	46,180	28	22,702	15	68,882	43
2021-22	51,127	27	22,407	13	73,535	40
2022-23	63,363	32	23,226	12	86,589	44
2023-24	70,369	34	25,264	12	95,633	46
2024-25	75,555	33	27,777	12	1,03,332	45

(*) उचन्त तथा सम्प्रेषण शेष रहित।
टिप्पणी: आंकड़े वर्ष के अन्त के उतरोत्तर शेष है।

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पिछले वर्ष से ₹ 7,699 करोड़ (8 *प्रतिशत*) की शुद्ध बढ़ोतरी दर्शायी गयी।

सरकारी दायित्वों का रूझान

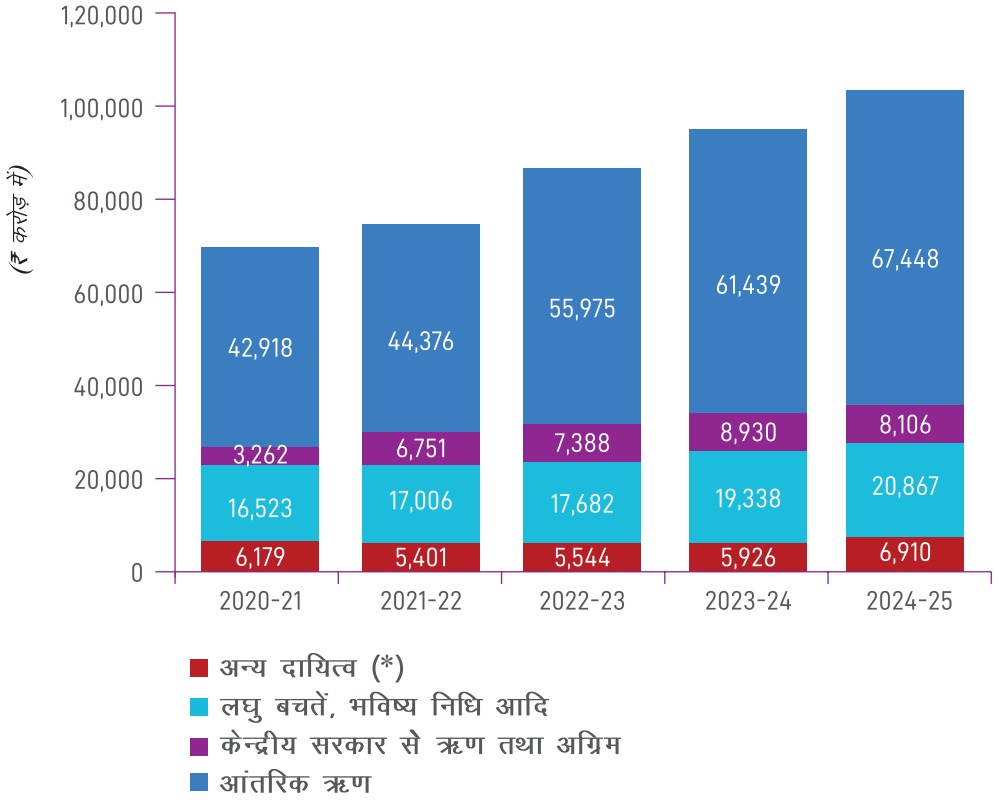

(*) ब्याज सहित और ब्याज रहित दायित्व जैसे आरक्षित निधि और जमा

5.3 प्रतिभूतियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थान से सरकारी कम्पनियों तथा निगम द्वारा लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती है। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। 2020-21 से 2024-25 में वैद्यानिक निगम, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूल-राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (मूलधन केवल)	वर्ष के अन्त में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2020-21	2,299	2,142	उपलब्ध नहीं
2021-22	2,035	1,885	उपलब्ध नहीं
2022-23	3,158	1,781	उपलब्ध नहीं
2023-24	3,129	1,745	उपलब्ध नहीं
2024-25	4,115	1,896	उपलब्ध नहीं

नोटः विस्तृत विवरण, वित्त लेखे की विवरणी संख्या 20 में उपलब्ध हैं तथा यह राज्य सरकार, वित्त विभाग से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं।

अध्याय VI

अन्य मदें

6.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिशासित होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रतिभूति भी देती हैं जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार की किताबों में ये प्रकट नहीं होते और इन्हें ऑफ-बजट उधार के रूप में जाना जाता है। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी-लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामतः सरकारी लेखाओं में असंगत प्रतिकूल शेष राशि तथा सरकारी खातों में देनदारियों का कम आंकलन होता है।

31 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के लेखों में कोई प्रतिकूल शेष नहीं थे।

6.2 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम

2024-25 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 7,982 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। 2024-25 के दौरान सरकार ने सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त-निकायों को ₹ 34 करोड़ की राशि के ऋण तथा अग्रिम वितरित किये। 31 मार्च 2025 के अन्त में ₹ 97 करोड़ मूलधन की वसूली लम्बित थी। राज्य सरकार द्वारा बकाया ब्याज की राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी प्रदान नही की गई थी। 2024-25 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली की प्राप्ति केवल ₹ 185 करोड़ ही हो पाई, जिसमें से ₹ 6 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों की वापसी से सम्बन्धित थी।

बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायता करेंगे।

6.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों, स्वायत्त-निकायों आदि को दिए गए सहायता-अनुदानों में वर्ष 2020-21 में ₹ 4,563 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 6,231 करोड़ हो गया। जिला परिषदों, पंचायती राज संस्थानों तथा नगर-निगम व नगरपालिकाओं को दिए गए अनुदान (₹ 3,061 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 49 *प्रतिशत* है।

विगत पांच वर्षो के सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार हैः -

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों के नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	जिला परिषद एव पंचायती राज संस्थान	945	1,032	1,754	1,193	2,407
2	नगर निगम एवं नगर पालिका	815	801	903	971	654
3	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान	1,176	1,148	1,157	1,209	1,531
4	विकास एजेंसी	238	332	330	338	389
5	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थान	458	673	671	447	533
6	अन्य संस्थान	931	995	1,032	935	717
	जोड़	4,563	4,981	5,847	5,093	6,231

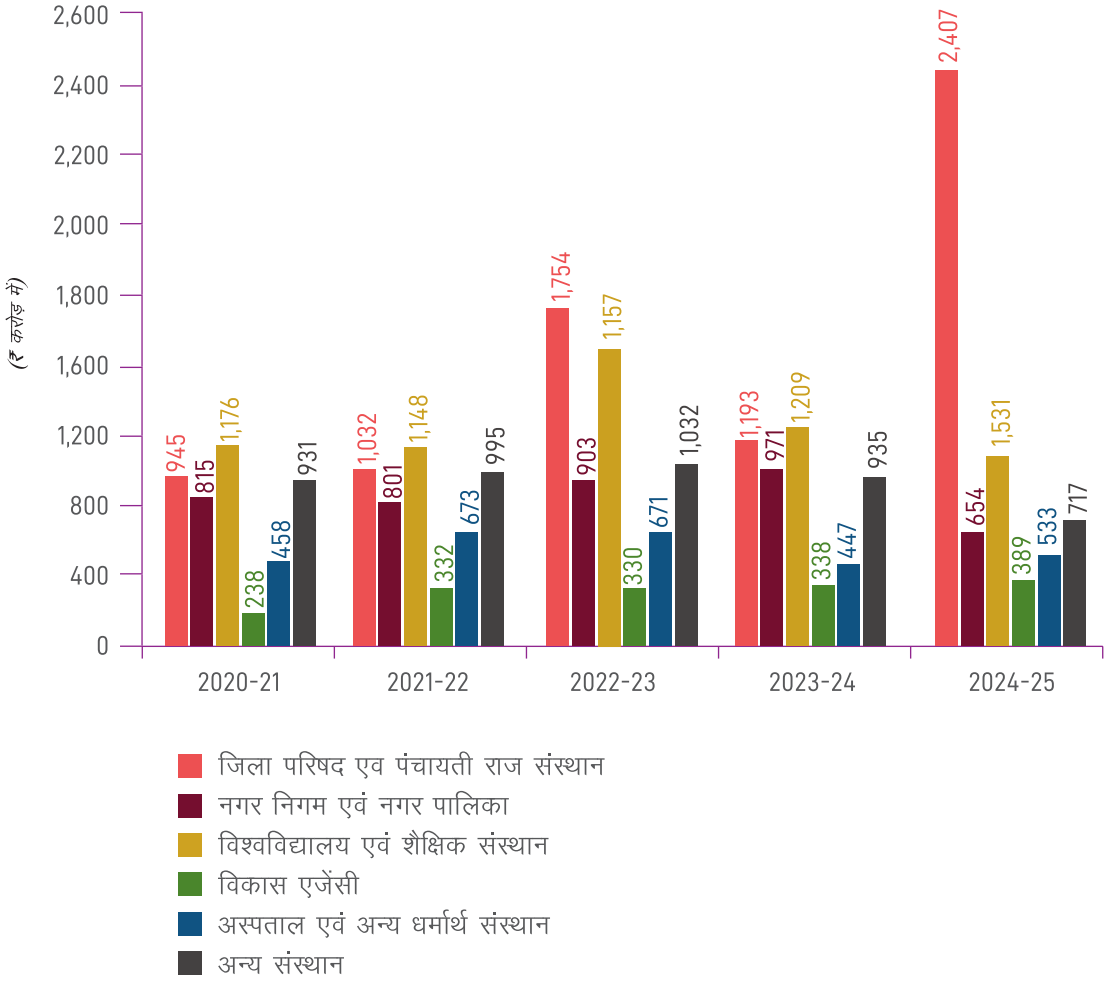

विगत पांच वर्षो में सम्पत्तियों के सृजन के लिए आवंटित सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है: -

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों के नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	जिला परिषद	66	32	75	2	81
2	पचांयत समिति	66	40	75	25	75
3	ग्राम पंचायत	332	170	393	68	381
4	नगर निगम	220	228	449	478	160
5	नगर पालिका	160	139	98	184	147
6	शैक्षिक संस्थान	1	...	...	...	...
7	विकास एजेंसी	47	29	25	5	5
8	संविधिक निगम	7	...	10	...	...
9	सहकारी संस्थान	1	2	3	2	1
10	सामाजिक कल्याण	25	43	41	50	98
11	विश्वविद्यालय	1	10	11	...	...
12	अन्य	114	140	197	97	235
	जोड़	**1,040**	**833**	**1,377**	**911**	**1,183**

6.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2024 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति	निवल बढ़ौतरी (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	42	45	3
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	1,458	...	(-)1,458
चिन्हित निधि शेष से निवेश	...	...	...
(क) निक्षेप निधि	...	...	...
(ख) प्रत्याभूति विमोचन निधि	...	...	...
(ग) अन्य निधियां	...	...	...
वर्ष के दौरान ब्याज वसूली	21	9	(-)12

राज्य सरकार के पास 31 मार्च 2025 के अन्त में ₹ 45 करोड़ (नामे) का रोकड़ शेष था। रोकड़ शेष राशि के निवेश पर ब्याज प्राप्ति 2023-24 में ₹ 21 करोड़ से ₹ 12 करोड़ घटकर 2024-25 में ₹ 9 करोड़ हो गई।

6.5 लेखों का मिलान

सभी नियन्त्रक अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), के कार्यालय द्वारा लेखा बद्ध आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान करना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के दौरान, राजस्व प्राप्तियां ₹ 38,896 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 95 *प्रतिशत*) और राजस्व व्यय ₹ 33,933 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 71 *प्रतिशत*) और पूंजीगत व्यय ₹ 4,899 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय का 82 *प्रतिशत*) का मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया था।

पिछले वर्ष 2023-24 में प्राप्तियों की राशि ₹ 39,175 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) एवं व्यय की राशि ₹ 50,361 करोड़ (कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 100 *प्रतिशत*) का मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया था।

6.6 उचन्त शेषों एवं प्रेषण शीर्षों की स्थिति

वित्त लेखे, उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते है। ये बकाया शेष विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पृथक लम्बित नामे एवं जमा शेषों को एकत्रित करके प्राप्त किए गए, जो 31 मार्च, 2025 को ₹ 1,074 करोड़ (जमा) थे।

लंबित एवं बड़ी बकाया राशियां लेन-देन के निपटान एवं समायोजन में हो रहे विलम्ब का संकेत देती हैं। इन बकाया राशियों का समुचित मिलान न होने से सरकार की नकदी स्थिति की सटीकता प्रभावित होती है तथा इससे प्राप्तियों एवं व्यय के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति की संभावना रहती है।

6.7 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 157 के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान या संगठन सहायता अनुदान के उपयोग के बाद सरकार को लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग पत्र क्रमांक 1-3/73-फिन (रजि.), दिनांक 28 जनवरी 1976 के अनुसार पहले दिये गए अनुदान के उचित उपयोग का तय समय में यानि अनुदान की अवधि से एक वर्ष के दौरान प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले संस्थानों को आगे अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा इस प्रावधान में दिनांक 05-12-2024 से संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार,

- अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों या संगठनों को अनुदान के उपयोग के छह महीने के भीतर सरकार को लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- अनुदान राशि प्राप्ति के तीन महीने के भीतर या अगली किस्तों के जारी होने से पहले, जो भी पहले हो, उसका पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।

यू.सी. प्रस्तुत ना करने की सीमा तक, एक जोखिम है कि वित्त लेखों में दिखाई गई राशि लाभार्थियों तक न पहुंची हो।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 22,512 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित ₹ 7,887 करोड़ 31 मार्च 2025 तक की अवधि के देय थे (31 मार्च 2024 तक निकाले गए जी.आई.ए.बिल)। इनमें से 19,991 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित ₹ 4,563 करोड़ की राशि वर्ष के दौरान प्राप्त हुई और उनका भुगतान कर दिया गया।

31 मार्च 2025 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष (*)	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र	राशि (₹ करोड़ में)
2023-24 तक	1,375	1,176
2024-25	1,146	2,148
कुल	**2,521#**	**3,324#**
वर्ष	जमा करने की नियत तारीख से पहले जमा किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	
2024-25	3	39

** ऊपर उल्लिखित वर्ष ''नियत वर्ष'' से संबंधित है, अर्थात, वास्तविक निकासी के एक वर्ष के बाद।*
 # इनमें सी.एस.एस. से संबंधित ₹ 1,200 करोड़ की 155 बकाया यू.सी शामिल हैं।

6.8 राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 01.04.2023 से पुरानी पैंशन योजना ओ.पी.एस. को वापस लेने की अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 01.04.2023 तक कुल 1,18,877 एन.पी.एस. अभिदाता थे। इनमें से 1,17,520 अभिदाताओं ने ओ.पी.एस. का विकल्प चुना था और 31.03.2025 तक 1,357 अभिदाता एन.पी.एस में बने रहे। 01.04.2023 के बाद सभी नियुक्तियाँ सी.सी.एस पैंशन नियम 1972 के अंतर्गत की गईं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, मुख्य शीर्ष-2071 लघु शीर्ष 117 के तहत सरकार का अंशदान ₹ 13 करोड़ था और एन.पी.एस. के लिए कर्मचारियों का अंशदान ₹ 9 करोड़ था। इसमें ए.आई.एस. अधिकारियों के सम्बन्ध में योगदान भी शामिल है। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत सार्वजनिक खाते में ₹ 21 करोड़ (कर्मचारी हिस्सा ₹ 9 करोड़ और सरकार का हिस्सा ₹ 12 करोड़) हस्तांतरित किया।

मुख्य शीर्ष 8342-117 (₹ 12 करोड़) के तहत दर्शाया गया सरकार का अंशदान मुख्य शीर्ष 2071-01-117 (₹ 13 करोड़) के तहत दर्ज राशि से कम था, क्योंकि डी.डी.ओ ने अंतिम महीने के लिए सरकार के एन.पी.एस. अंशदान को सार्वजनिक खाते के माध्यम से भेजने के बजाय सीधे सेवानिवृत कर्मचारी को जारी कर दिया था।

सार्वजनिक खाते में हस्तांतरित/जमा की गई कुल राशि में से ₹ 17 करोड़ 31 मार्च 2025 तक सार्वजनिक खाते में रहे और एन.एस.डी.एल को हस्तांतरित नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, सरकार का नकद शेष ₹ 17 करोड़ से अधिक बताया गया था।

6.9 रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा)

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2025 को रोकड़ शेष ₹ 45 करोड़ (नामे) था, जबकि आर.बी.आई. द्वारा सूचित शेष ₹ 38 करोड़ (जमा) था। ₹ 7 करोड़ (नामे) का निवल अंतर था, जिसका मुख्य कारण कोषागारों/आर.बी.आई./एजेंसी बैंक और प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय के बीच लंबित मिलान था। अंतर मिलान के अधीन है। पिछले वर्ष यानि 31 मार्च 2024 को स्थिति ₹ 42 करोड़ (नामे) थी।

6.10 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के गठन और प्रशासन पर दिशा-निर्देशों के संदर्भ में (मुख्य शीर्ष- '8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' जो सब्याज अनुभाग के तहत है), केंद्र और राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 378 करोड़ प्राप्त हुए, जबकि राज्य सरकार का अपना हिस्सा ₹ 42 करोड़ था। तदनुसार, मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ.के तहत निधि में ₹ 420 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹ 378 करोड़ और राज्य अंश ₹ 42 करोड़) हस्तांतरित किए गये।

इसी वर्ष के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से एन.डी.आर.एफ. के लिए ₹ 85 करोड़ प्राप्त हुए। इसमें से, राज्य सरकार ने 31 मार्च 2025 तक मुख्य शीर्ष 8235-125-एन.डी.आर.एफ. के अंतर्गत ₹ 67 करोड़ निधि में हस्तांतरित कर दिए। शेष ₹ 18 करोड़ की राशि वर्ष के दौरान निधि में हस्तांतरित नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को कम दर्शाया गया।

मुख्य शीर्ष 2245 में ₹ 520 करोड़ की राशि को समायोजित किया गया था क्योंकि व्यय निधि (एस.डी.आर.एफ. से ₹ 410 करोड़ और एन.डी.आर.एफ से ₹ 110 करोड़) से किया गया था। आवश्यकतानुसार, निधि में उपलब्ध शेष राशि को वर्ष के दौरान भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया गया। 31 मार्च 2025 को एस.डी.आर.एफ. और एन.डी.आर.एफ. में समापन शेष क्रमशः ₹ 68 करोड़ और ₹ 14 करोड़ था।

6.11 राज्य आपदा शमन कोष (एस.डी.एम.एफ.)

राज्य आपदा शमन कोष (एस.डी.एम.एफ.) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत किया जाना है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन.डी.आर.एफ.) के दिशा-निर्देशों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदाओं से सम्बन्धित राहत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए है। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130- राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत, दिनांक 27.02.2023 को एस.डी.एम.एफ की स्थापना की।

केंद्र और राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को एस.डी.एम.एफ. में केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 185 करोड़ प्राप्त हुए (2024-25 के लिए ₹ 95 करोड़ और 2023-24 के लिए ₹ 90 करोड़)। राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 20 करोड़ था (2024-25 के लिए ₹ 10 करोड़ और 2023-24 के लिए 10 करोड़)। तदनुसार, मुख्य शीर्ष 8121-130 एस.डी.एम.एफ. के तहत नामित निधि में ₹ 205 करोड़ (केंद्रीय हिस्साः ₹ 185 करोड़ और राज्य का हिस्साः ₹ 20 करोड़) हस्तांतरित किया गया।

₹ 200 करोड़ की राशि को मुख्य शीर्ष 2245 में समायोजित किया गया था क्योंकि व्यय निधि से पूरा किया गया था। निधि से कोई राशि निवेश नहीं की गई थी। 31 मार्च 2025 को निधि में अंतिम शेष राशि ₹ 48 करोड़ थी।

6.12 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, प्रतिपूरक वनरोपण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त राशियों के लिए राज्य सरकारों को राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि को लोक लेखा में सब्याज अनुभाग के तहत स्थापित करना आवश्यक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 0.02 करोड़ (2023-24 में शून्य) प्राप्त हुए हैं और राष्ट्रीय कोा में केन्द्रीय हिस्से के रूप में 10 *प्रतिशत* शेयर (पिछले वर्ष शून्य) जमा किया है। सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण जमा से ₹ 785 करोड़ (2023-24 में ₹ 308 करोड़) भी प्राप्त हुए थे।

वर्ष के दौरान, मुख्य शीर्ष 2406-04-103 राज्य प्रतिपूरक वनरोपण के अंतर्गत ₹ 106 करोड़ का व्यय इस निधि से पूरा किया गया। सरकार ने इस निधि से कोई राशि निवेश नहीं की है। 31 मार्च 2025 तक राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में समापन शेष ₹ 2,623 करोड़ था।

6.13 राज्य सरकार द्वारा लगाये गए उपकर

(क) **भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकरः**

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकर लगाने और वसूलने का प्रावधान करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने मुख्य शीर्ष 8443 के तहत श्रम उपकर के रूप में ₹ 33 करोड़ (2023-24: ₹ 48 करोड़) एकत्र किए और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को ₹ 30 करोड़ (2023-24: ₹ 43 करोड़) हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2025 को मुख्य शीर्ष 8443 से कुल अहस्तांतरित राशि ₹ 35 करोड़ थी (31 मार्च 2024 को ₹ 32 करोड़)। चूंकि यह पास थ्रू लेनदेन है, इसलिए सरकार का नकद शेष इस राशि से अधिक बताया गया था।

(ख) **अन्य उपकर/शुल्क/अधिभारः**

2023-24 में ₹ 182 करोड़ की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 210 करोड़ (दूध उपकरः ₹142 करोड़, करों पर उपकरः ₹ 43 करोड़, प्राकृतिक खेती उपकरः ₹ 25 करोड़, भूमि पर उपकरः ₹ 0.03 करोड़) श्रम उपकर के अलावा की राशि के विभिन्न उपकर एकत्र किए। इन उपकरों को नियन्त्रित करने वाले अधिनियमों/अधिसूचनाओं में राज्य के लोक लेखे के तहत निधि के निर्माण का प्रावधान नहीं है। लोक लेखे निधि के सृजन और उसमें उपकर संग्रह के अभाव में, एकत्रित राशि के उपयोग की प्रभावी ढ़ंग से निगरानी नहीं की जा सकती। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत उन्य उपकरों के लिए निधि के सृजन के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाया है।

6.14 वस्तु शीर्षों का गलत वर्गीकरण/गलत संचालन

वर्ष 2024-25 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वस्तु शीर्ष '20-अन्य प्रभार' के अंतर्गत ₹ 2,667 करोड़ का बजट और व्यय दर्ज किया है। इस राशि में से, ₹ 1,748 करोड़ से संबंधित वाउचरों की नमूना जाँच की गई, जिसमें यह पाया गया कि

- आरक्षित निधि में स्थानांतरण से संबंधित ₹ 692 करोड़, वस्तु शीर्ष '49- अंतर खाता हस्तांतरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '20-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किए गए थे, एवं
- न्यायालय के आदेशों पर मुआवजे से संबंधित ₹ 128 करोड़, वस्तु शीर्ष '29-मुआवजा' के बजाय वस्तु शीर्ष '20-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किए गए थे।

विशिष्ट वस्तु शीर्ष के बजाय सर्वव्यापी वस्तु शीर्ष '20-अन्य प्रभार' के अंतर्गत व्यय का बजटीकरण और दर्ज करने की प्रथा व्यय की प्रकृति की पारदर्शिता को प्रभावित एवं व्यय की वास्तविक प्रकृति को अस्पष्ट करती है।

6.15 आपत्ति पुस्तिका में उचंत लेखे के तहत दर्ज/हटाये गये लेनदेन

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त चार लेनिंग के मुआवजे के रुप में मुख्य शीर्ष 4000-पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत ₹ 6 करोड़ की दर्ज राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से विवरण न मिलने के कारण आपत्ति पुस्तिका उचंत मुख्य शीर्ष 8658-102-02 के अंतर्गत रखा गया है। इस राशि को व्यय में कमी के रूप में समायोजित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सम्बन्धित व्यय पहले ही किया जा चुका था।

मुख्य शीर्ष 4000 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण लेखांकन के फलस्वरूप प्राप्तियों का बढ़ा विवरण दर्शाया गया तथा पूंजीगत व्यय में अपेक्षित कमी परिलक्षित नहीं हुई। इस प्रकार के गलत वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप सरकार के राजकोषीय घाटे का भ्रामक चित्रण हुआ।

6.16 एकल नोडल एजेंसी को धन का हस्तांतरण

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पी.एफ.एम.एस./एफ.सी.डी./2020 दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) के तहत धन जारी करने और एकल नोडल एजेंसी के माध्यम से जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सी.एस.एस के लिए, एस.एन.ए. की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनूसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के बैंक खाते के साथ की जाती है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2023 के अनुसार, राज्य सरकार केंद्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ-साथ राज्य हिस्सेदारी को एस.एन.ए. खाते में स्थानांतरित कर देगी। 30 दिनों से ज्यादा की देरी पर 01.04.2023 से प्रभावी रूप से 7 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

राज्य सरकार/पी.एफ.एम.एस.की एस.एन.ए. 01 रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष 2024-25 के दौरान खजाने में केंद्राश के रूप में ₹ 4,091 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2025 तक, सरकार ने ₹ 4,280 करोड़ केंद्र का हिस्सा और ₹ 797 करोड़ राज्य का हिस्सा एस.एन.ए. को हस्तांतरित किया। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एस.एन.ए. से प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी एवं एस.एन.ए.की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक, एस.एन.ए.के बैंक खातों में ₹ 764 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हैं।

6.17 डी.डी.ओ बैंक खातों में हस्तांतरित धन राशि

हिमाचल कोषागार नियमावली के नियम 183(v) के अनुसार, कोषागार से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जाएगी जब तक कि तत्काल भुगतान हेतु उसकी आवश्यकता न हो। माँग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को समाप्त होने से बचाने के लिए कोषागार से धनराशि निकालना अनुमन्य नहीं है।

डीडीओ बैंक खातों में धनराशि जमा करने के कारण, सरकार को अतिरिक्त उधार लेने का सहारा लेना पड़ता है और दूसरी ओर, आरबीआई के पास मौजूद नकदी शेष में अचानक नामे होने से उत्पन्न होने वाली अनावश्यक ब्याज देनदारी भी उठानी पड़ती है।

राज्य सरकार ने डी.डी.ओ. बैंक खातों में हस्तांतरित धन राशि के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान नहीं की है।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/himachal-pradesh/hi